## ।। न्यायालयः अपर सेशन न्यायाधीश, राजगढ़ (अलवर) ।।

**पीठासीन अधिकारी : डॉ. लेखपाल शर्मा, आर.जे.एस.,**
**(जिला न्यायाधीश संवर्ग)**

**सेशन प्रकरण संख्या : 27/2016**
**सी.आई.एस. नंबर : 27/2016**

राजस्थान राज्य

**ब ना म**

01. राकेश कुमार पुत्र श्री रतनलाल उम्र 20 साल निवासी पाली पुलिस थाना महुआ, जिला दौसा (राज.) **.....अभियुक्त**

**<u>अपराध अन्तर्गत धारा 399, 402, 379/411 भारतीय दण्ड संहिता</u>**
**<u>प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्याः 228/2016 थाना रैणी, अलवर</u>**

**<u>उपस्थित :—</u>**

1. विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री राधेश्याम शर्मा, राज्य सर. की ओर से।
2. विद्वान अधिवक्ता श्री भगवती प्रसाद मीना, अभियुक्त की ओर से।

**:: निर्णय ::** **दिनांकः 24 जून, 2026**

**01. <u>हस्तगत प्रकरण के सहअभियुक्तगण संजू उर्फ संजय, विजय व रेशमसिंह का विचारण पूर्व में दिनांक 24.04.2025 को किया जा चुका है तथा अभियुक्त पदमसिंह की मृत्यु होने से उसके विरूद्ध आपराधिक कार्यवाही ड्रॉप की गई। अब अभियुक्त राकेश कुमार की हद तक ही प्रकरण का विचारण किया जा रहा है।</u>**

**02.** प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि परिवादी जितेन्द्र कुमार एसएचओ ने दिनांक 14.09.2016 को वापसी थाना एक रिपोर्ट इस आशय की दर्ज कराई कि, "दिनांक 14.09.2016 को समय करीब 7 पीएम पर एसएचओ को मुताबिक मुखबीर सूचना मिली कि तेलीवाडा की डूंगरी पर 5 व्यक्ति किसी पेट्रोल पम्प को लूटने की योजना बना रहे है, जिनके पास एक जीप व दो मोटरसाईकिल खडी है, जिनके पास अवैध हथियार भी हो सकते हैं। इस सूचना से उच्चाधिकारियों को अवगत कराया गया व मुताबिक निर्देश के मन थानाधिकारी मय जाप्ता एक पिस्टल 10 कारतूस मय 2 एसएलआर मय 100 कारतूस ड्रेगन लाईट मय अनुसंधान बॉक्स के वास्ते कार्यवाही हेतु रवाना हुआ। समस्त हमराही जाप्ता को मुखबीर द्वारा दी गई सूचना से अवगत कराया गया व हिदायत दी गई कि सभी एसएचओ के निर्देशानुसार कार्यवाही करेंगे। थाना हाजा से रवाना होकर सूचना मिलने के स्थान तेलीवाडा की डूंगरी के पास समय करीबन 7.45 पीएम पर पहुंचा, जहां पर मुखबीर द्वारा बताये स्थान से करीब 100 मीटर दूरी पर जीप सरकारी को खडा करके एसएचओ मय जाप्ता ड्रेगन लाईट के पैदल—पैदल छुपाव हासिल करते हुए पहाडी के पास—पास बडे पत्थरों की आड लेते हुए समय करीब

8 पीएम पर मुखबीर के बताये स्थान पर पहुंचे तो देखा कि पहाडी के पास एक जीप व दो मोटरसाईकिल खडी थी, जिनके आसपास पांच व्यक्ति जो गाडी जीप की लाईट जलाकर बैठकर आपस में बाते कर रहे थे। एसएचओ व मय जाप्ता ने उक्त व्यक्तियों के वार्तालाप को सुना तो उनमें से एक शख्स कह रहा था कि "आज अपने को गढी सवाईराम पेट्रोल पम्प को लूटना है, जिसमें काफी नगदी मिलेगी। रेशमसिंह तू मोटरसाईकिल से एक चक्कर काटकर पुलिस की लॉकेशन देख लेना। जैसे ही पुलिस की लॉकेशन दूर हो जाए तो मैं, राकेश, पदमसिंह जीप से व विजय तू अपनी मोटरसाईकिल से पेट्रोल पम्प पर पहुंच जाना। रेशमसिंह तू सडक पर खडा होकर छिपकर हलचल देखते रहना, पुलिस की गाडी आए तो ईशारा करना है। मेरे पास लोडेड कटटा व राकेश के पास चाकू है, तू घबराना मत व विजय तेरे पास जो लोहे की रॉड है, से किसी कर्मचारी के विरोध करने पर सिर में मार देना है। पदमसिंह तेज गाडी चलाने में माहिर है, गाडी चला लेगा। पेट्रोल पम्प से नगदी लूटने के बाद मैं व राकेश, पदमसिंह के साथ जीप में बैठकर व तुम दोनों अपनी–अपनी मोटरसाईकिलों से अलग–अलग दिशाओं में भाग जाना। सभी ने एकराय होकर एक आवाज में कहा कि सन्जू भाई तुम सही कह रहे हो, हम सब आपके कहे मुताबिक की काम करेंगे, फिर भी तुम अपने कटटे को लोड रखना।" इतना सुनकर एसएचओ ने उन्हें ललकार कर कहा कि तुम लोगों को पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, चुपचाप जैसे हो वैसे ही बैठे रहो वरना ठीक नहीं होगा। इतना सुनकर पांचों बदमाशों ने हडबडा कर भागने का प्रयास किया, जिनमें से संजू, पदमसिंह, रेशमसिंह, विजयसिंह को हमराही जाप्ता की मदद से वही दबोच लिया। मगर एक बदमाश खुले जंगल, अंधेरा व बाजरे की खडी फसल का फायदा उठाकर भाग गया, जिसको ड्रेगन लाईट से प्रकाश डालने पर थाना हाजा के कानि. गोविन्दराम द्वारा पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड में नाम होने के कारण राकेश पुत्र रतन निवासी पाली थाना महुवा, जिला दौसा को पहचान लिया था। दस्तयाब होने वाले शख्सों का नाम पता पूछा व तलाशी ली गई तो एक शख्स जो बदमाशों का मुखिया था ने अपना नाम संजू उर्फ संजय पुत्र कालूराम होना बताया। जिसके दांहिने हाथ में एक देशी कटटा 315 बोर लोडेड मिला, जिसको कब्जे पुलिस में लिया गया। दूसरे शख्स ने अपना नाम विजय पुत्र रामजीलाल होना बताया, जिसके दांहिने हाथ में एक लोहे की रॉड मिली, जिसको कब्जे पुलिस में लिया गया। तीसरे शख्स ने अपना नाम रेशमसिंह पुत्र संतोक सिंह होना बताया। चौथे शख्स ने अपना नाम पदमसिंह पुत्र बाबूलाल होना बताया। उक्त शख्सों के पास मिली एक जीप नंबर आरजे 02 सी 0165 के बारे में पूछताछ की तो बताया कि करीब दो–तीन दिन पूर्व महवा कस्बे से चोरी की थी, जिसको आज डकैती के लिए लाये है। पास ही खडी दो मोटरसाईकिल बिना नंबरी हीरो होण्डा स्पलेण्डर प्लस मिली, जिनके चैसिस नंबर ड्रेगन लाईट से देखे गए तो एमबीएलएचए10एएमसी9जी13564 व इंजन नंबर एचए10ईजेसी9जी18753 व दूसरी बिना नंबरी मोटरसाईकिल हीरो होण्डा स्पलेण्डर प्लस चैसिस नंबर एमबीएलएचए10एएमडी9जीओ5554 इंजन नंबर एचए10ईजेडी9406674 खडी हुई मिली, जिनके बारे में उक्त शख्सों से पूछा

तो हर दोनों मोटरसाईकिल हीरो होण्डा स्पलेण्डर बिना नंबरी को विजय व रेशमसिंह ने अलवर से व जीप को पदमसिंह, संजू उर्फ संजय व फरार राकेश द्वारा महवा से चोरी करना बताया। जिनके कागजात बाबत पूछा तो अपने पास कोई कागजात होना नहीं बताया तथा उक्त सभी व्यक्तियों के पास सभी वाहन चोरी के होना बताया। शख्स संजू उर्फ संजय से उसके कब्जे में मिले एक देशी लोडेड कटटा 315 बोर को अपने कब्जे में रखने व लाने, ले जाने का वैध लाईसेन्स पूछा तो अपने पास कोई लाईसेन्स नहीं होना बताया।"

**03.** उक्त रिपोर्ट पर थाना रैणी, अलवर पर दिनांक 14.09.2016 को प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 228/2016 अपराध अंतर्गत धारा 399, 402, 379, 411 भा0द0सं0 व 3/25 आयुध अधिनियम में दर्ज कर चाक एफआईआर किता की गई व अनुसंधान प्रारम्भ किया। अनुसंधान के पश्चात् अभियुक्तगण विजय, रेशमसिंह, पदमसिंह व राकेश कुमार के विरूद्ध धारा 399, 402, 379, 411 भा0द0सं0 एवं अभियुक्त संजू उर्फ संजय के विरूद्ध धारा 399, 402, 379, 411 भा0द0सं0 व 3/25 आयुध अधिनियम के अपराध में आरोप पत्र विचारण न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजगढ जिला अलवर में प्रस्तुत किया, जहां से प्रकरण बाद प्रसंज्ञान अनन्य रूप से सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय होने से इस न्यायालय को कमिट होकर दिनांक 08.12.2016 को प्राप्त हुआ।

**04.** बहस चार्ज सुनी जाकर अभियुक्त राकेश कुमार को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 399, 402, 379/411 के अपराध का आरोप बनने से उक्त धाराओं का आरोप विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त ने अपराध अस्वीकार किया और अन्वीक्षा चाही।

**05.** अभियोजन साक्ष्य में निम्न 12 गवाहान के कथन लेखबद्ध कराये गयेः–

| Rank | Name of Witness |
|---|---|
| पी.डब्ल्यू. 01 | चेतराम |
| पी.डब्ल्यू. 02 | गोविन्द |
| पी.डब्ल्यू. 03 | धारासिंह |
| पी.डब्ल्यू. 04 | ओमप्रकाश |
| पी.डब्ल्यू. 05 | हरिकिशन |
| पी.डब्ल्यू. 06 | रामभजन |
| पी.डब्ल्यू. 07 | उमादत्त शर्मा |
| पी.डब्ल्यू. 08 | अरूण सिंह |
| पी.डब्ल्यू. 09 | जितेन्द्र |
| पी.डब्ल्यू. 10 | पूरनसिंह |
| पी.डब्ल्यू. 11 | चरणसिंह |
| पी.डब्ल्यू. 12 | राजेश कुमार |
| पी.डब्ल्यू. 13 | अरूण |
| पी.डब्ल्यू. 14 | चरणसिंह |
| पी.डब्ल्यू. 15 | रामभजन |

| | |
|---|---|
| पी.डब्ल्यू. 17 | पूरनसिंह |
| पी.डब्ल्यू. 18 | कैलाशचंद |

**नोटः– अपर लोक अभियोजक द्वारा सहवन से पी.डब्ल्यू. 16 अंकित नहीं किया गया है इसलिए पी.डब्ल्यू. 15 के पश्चात् क्रम की दृष्टि से आगामी गवाहान पी. डब्ल्यू. 17 व 18 का ही विवरण दिया गया है।**

**नोटः– अभियोजन पक्ष की ओर से पूर्व में परीक्षित गवाहान पी.डब्ल्यू. 08 अरूण, पी.डब्ल्यू. 11 चरणसिंह, पी.डब्ल्यू. 06 रामभजन व पी.डब्ल्यू. 10 पूरणसिंह को हस्तगत अभियुक्त राकेश कुमार के उपस्थित आने पर क्रमशः गवाह पी.डब्ल्यू. 13, 14, 15 व 17 के रूप में लेखबद्ध कराई गई है। अतः उपरोक्त गवाहान की साक्ष्य अभियुक्त राकेश कुमार के संबंध में क्रमशः पी.डब्ल्यू. 13, 14, 15 व 17 के रूप में पढी जावेगी।**

**06.** अभियोजन पक्ष की ओर से साक्ष्य में निम्न दस्तावेजों को प्रदर्शित करवाया गया:–

| Sr. No. | Exhibit Number | Description |
|---|---|---|
| 1. | प्रदर्श पी–1 | नक्शा मौका घटनास्थल दिनांकित 15.09.2016 |
| 2. | प्रदर्श पी–2 | फर्द जब्ती मोटरसाईकिल हीरो होण्डा स्पलेण्डर प्लस रंग काला–नीला नंबर आरजे 29 एसएफ 0911 व हीरो स्पलेण्डर प्रो रंग काला–नीला बिना नंबरी व हीरो होण्डा सीडी डिलक्स रंग काला–नीला बिना नंबरी दिनांकित 16.09.2016 |
| 3. | प्रदर्श पी–3 | फर्द जब्ती मोटरसाईकिल हीरो होण्डा स्पलेण्डर प्लस रंग काला बिना नंबरी दिनांकित 14.09.2016 |
| 4. | प्रदर्श पी–4 | फर्द जब्ती जीप महिन्द्रा दिनांकित 14.09.2016 |
| 5. | प्रदर्श पी–5 | फर्द जब्ती देशी कटटा 315 मय एक जिन्दा कारतूस दिनांकित 14.09.2016 |
| 6. | प्रदर्श पी–6 | नक्शा मौका बरामदगी स्थल दिनांकित 16.09.2016 |
| 7. | प्रदर्श पी–7 | फर्द तस्दीक नक्शा मौका घटनास्थल दिनांकित 20.09.2016 |
| 8. | प्रदर्श पी–8 | फर्द गिरफ्तारी मुलजिम संजू उर्फ संजय दिनांकित 14.09.2016 |
| 9. | प्रदर्श पी–9 | फर्द गिरफ्तारी मुलजिम विजय दिनांकित 14.09.2016 |
| 10. | प्रदर्श पी–10 | फर्द गिरफ्तारी मुलजिम पदमसिंह दिनांकित 14.09.2016 |
| 11. | प्रदर्श पी–11 | फर्द गिरफ्तारी मुलजिम रेशमसिंह दिनांकित 14.09.2016 |
| 12. | प्रदर्श पी–12 | तसुवर फर्द गिरफ्तारी मुलजिम राकेश कुमार दिनांकित 20.09.2016 |

(डॉ. लेखपाल शर्मा, आर.जे.एस.)

| | | |
|---|---|---|
| 13. | प्रदर्श पी—13 | फर्द जब्ती लोहे की रॉड (सरिया) दिनांकित 14.09.2016 |
| 14. | प्रदर्श पी—14 | फर्द जब्ती मोटरसाईकिल हीरो स्पलेण्डर रंग काला बिना नंबरी दिनांकित 14.09.2016 |
| 15. | प्रदर्श पी—15/ए | मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति |
| 16. | प्रदर्श पी—16 | अभियोजन स्वीकृति |
| 17 | प्रदर्श पी—17 | नमूना सील |
| 18. | प्रदर्श पी—18 | नकल रपट रोजनामचा आम |
| 19. | प्रदर्श पी—19 | चाक एफआईआर |
| 20. | प्रदर्श पी—20 | मुआयना रिपोर्ट कटटा व कारतूस |
| 21. | प्रदर्श पी—21 व 22 | नकल रोजनामचा आम |
| 22. | प्रदर्श पी—23 | फर्द इत्तला 27 साक्ष्य अधिनियम मुलजिम विजय |
| 23. | प्रदर्श पी—24 | फर्द इत्तला 27 साक्ष्य अधिनियम मुलजिम राकेश |
| 24. | प्रदर्श पी—25 | चार्जशीट |
| 25. | प्रदर्श पी—26 | तितम्बा चार्जशीट |

**07.** अभियुक्त के कथन धारा 313 सीआरपीसी के अंतर्गत लेखबद्ध करने पर उन्होंने अभियोजन साक्ष्य को गलत होना बताते हुए झूठे बयान देने के कथन किये तथा स्वयं को निर्दोष होकर झूठा फंसाए जाने सहित कथन किया कि, **"वह मौके पर नहीं था।"** तथा साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना चाहा।

**08.** इस प्रकरण के निस्तारण हेतु विचारणीय बिन्दु निम्न हैः—

(1) आया अभियुक्त राकेश कुमार ने दिनांक 14.09.2016 को 8 पीएम के लगभग तेली बाडा की डूंगरी के पास रैणी में डकैती के प्रयोजन से सहअभियुक्तगण के साथ जो कि संख्या 05 व्यक्ति थे, एकत्रित होकर गढी सवाईराम पेट्रोल पम्प लूटने व योजना बनाते हुए पाए गए एवं **धारा 402 भारतीय दण्ड संहिता** का अपराध कारित किया ?

(2) आया उक्त अभियुक्त ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर डकैती की तैयारी के लिए चोरी किए गए वाहनों के साथ तथा कटटा, सरिया आदि हथियारों से लैस होकर डकैती की तैयार करते हुए पुलिस जाप्ते द्वारा पकडा गया एवं **धारा 399 भारतीय दण्ड संहिता** के तहत दण्डनीय अपराध कारित किया ?

(3) आया उक्त अभियुक्त के कब्जे से उक्त दिनांक, समय व स्थान पर एक चोरी की जीप महिन्द्रा जिसकी नंबर प्लेट पर रजिस्टर्ड नंबर आरजे 02 सी 0165 अंकित थे व दो मोटरसाईकिल हीरो होण्डा स्पलेण्डर प्लस जिनके चैसिस व इंजन नंबर क्रमशः एम बी एल एच ए 10 ए एम सी 9 जी 13564, एच ए 10 ई जे सी 9 जी 18753 तथा एम बी एल एच ए 10 ए एम डी 9 जी ओ 5554, एच ए 10 ई जे डी 9406674 तथा तीन

अन्य मोटरसाईकिलें पुलिस को दफा 27 की इत्तला में संजू के घर से, जो उक्त अभियुक्तगण द्वारा मिलकर चुराई गई, बरामद हुई, जिनका कोई विधिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया तथा उक्त मोटरसाईकिलें व जीप चोरी की जानते हुए अपने कब्जे में रखी एवं **धारा 379/411 भारतीय दण्ड संहिता** के तहत दण्डनीय अपराध कारित किया ?

(4) यदि उक्त विचारणीय बिन्दुओं का उत्तर 'हां' में हो तो अभियुक्त किस दण्ड का अधिकारी है ?

**09.** उक्त विचारणीय बिन्दु एक—दूसरे से संबंधित है, साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हो, इसलिए एक साथ निर्णीत किया जाना न्यायोचित है।

**10.** बहस अंतिम उभयपक्ष सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

**11.** विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का दौराने बहस तर्क रहा कि अभियोजन साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध कोई अपराध संदेह से परे प्रमाणित नहीं है। उनका यह भी तर्क है कि प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित कराए गए महत्वपूर्ण गवाहान के बयानों में परस्पर गंभीर विरोधाभास है। उनका यह भी तर्क है कि अभियोजन द्वारा परीक्षित गवाहान समस्त पुलिसकर्मी है, जिनकी साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जा सकता। उनका यह भी तर्क है कि प्रकरण में किसी भी स्वतंत्र साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है। उनका यह भी तर्क है कि अभियुक्त राकेश की घटनास्थल पर उपस्थिति के संबंध में अभियोजन साक्ष्य के आधार पर पुष्टिकारक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुई है। साथ ही अभियुक्त राकेश से प्रकरण में कोई बरामदगी भी नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त राकेश की संलिप्तता अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत की गई मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं होती है। अतः उक्त तर्कों के आधार पर उन्होंने अभियुक्तगण को संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया।

**12.** विद्वान अपर लोक अभियोजक का दौराने बहस तर्क रहा है कि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित है। उनका यह भी तर्क है कि अभियुक्त के विरूद्ध गवाहान की मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर आक्षेपित आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित होते हैं इसलिए पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से अभियुक्त को उस पर आरोपित अपराध के लिए दोषसिद्ध किए जाने का निवेदन किया।

**13.** उभयपक्षकारान के तर्कों पर मनन किया एवं सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

**14.** अभियोजन साक्ष्य में पी.डब्ल्यू. 01 चेतराम ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 14.09.2016 को वह थाना रैणी में कानि. के पद पर तैनात था। उस दिन एसएचओ साहब के साथ वह व अरूण कुमार एचसी व गोविन्दराम व ओमप्रकाश कानि. व धारासिंह व जीप चालक हरिकिशन के साथ वे करीब सात

बजे थाने से निकले थे। एसएचओ साहब को जर्ये मुखबीर सूचना मिली थी कि टेलीपाडा की डूंगरी पर कुछ लोग पेट्रोल पम्प को लूटने की योजना बना रहे हैं। उनके पास हथियार होना बताया व उनके पास एक जीप व दो मोटरसाईकिल होना भी बताया था। इस सूचना पर वे थाने से रवाना हुए। रवाना होने पर एसएचओ साहब ने एक पिस्टल कारतूस के सहित व दो एस.एल.आर. मय राउंड सौ के तथा डैंगन लाईट लेकर रवाना हुए। फिर वे करीब 7:45 पीएम पर टेलीपाडा की डूंगरी के पास पहुंच गए। वहां पर उन्होंने गाडी खडी करके एसएचओ साहब के साथ उनके बताए अनुसार पैदल—पैदल चल दिए। जहां पर गाडी की लाईट जल रही थी तथा चार—पांच आदमी बैठे थे और दो मोटरसाईकिल खडी थी। वे वहां पर पहुंचे, वहां पर संजू और लोगों को समझा रहा था कि आज घडी पेट्रोल पम्प पर काफी पैसे मिलेगे, हमें इसको लूटना है। उसने रेशम सिंह से कहा कि तुम मोटरसाईकिल लेकर आगे जाना व पुलिस की सूचना हमें देना। राकेश से भी मोटर साइकिल लेकर चलने के लिए कहा। विजय सिंह से कहा कि तेरे पास सरिया है, अगर कोई सामना करे तो उसके वार कर देना। संजू ने कहा कि मेरे पास पिस्टल है अगर मेरे सामने कोई आएगा तो मैं उसके उपर फायर कर दूंगा। तुम लोग घबराना मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। पदम ने कहा की मैं गाडी चलाने में होशियार हूं, मैं गाडी चला लूंगा। आपस में कह रहे थे कि जैसे ही पैट्रोल पम्प से लूट की कार्यवाही हो जाये तो सभी लोग अपनी—अपनी दिशा में चल देना। इस पर एसएचओ साहब ने आवाज लगाई कि तुम्हे पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है। उनमें से उन्होंने चार लोगों को पकड लिया था, उनमें से एक आदमी भाग गया था। उन्होंने जिनको पकडा, उनमें विजय, पदम, संजू व रेशम थे। उनमें से राकेश मौके से भागने में कामयाब हो गया था। मौके से ही उन्होंने इन लोगो के पास से दो मोटरसाईकिल व एक जीप पकडी थी। दोनों मोटरसाईकिल बिना नम्बरी स्पलेण्डर थी। जीप डी.आई. गाडी थी। उन्होंने चारों मुलजिमों को पकडने के बाद उनसे उनके नाम पता पूछे थे, इन चारों मुलजिमों तलाश करने पर विजय सिंह के पास एक लोहे की राड मिली थी, संजू के पास एक देशी कटटा 315 बोर का मिला था। मोटरसाईकिल व जीप के बारे में इन लोगों से आर.सी. के बारे में पूछा तो इन लोगों ने अपने पास नहीं होना बताया तथा इन लोगों ने मोटरसाईकिल व जीप को चोरी की होना बताया था। इनके पास कोई गाडी के कागजात नहीं मिले। संजय उर्फ संजू के पास जो देशी कटटा मिला था जिसके बारे में उससे लाईसेस के बारे में पूछा तो उसने अपने पास कोई लाईसेस होना नहीं बताया। मौके पर ही इस कटटे को कारतूस निकालकर जब्त कर लिया और उसे सफेद कपडे की थैली में रखकर सील मोहर कर दिया। लोहे की जो रॉड मिली थी उसे भी जब्त किया तथा मोटरसाईकिल व जीप को भी वजह सबूत जब्त किया था। इसके बाद मुलजिमान को थाना रैणी में लेकर आ गए। घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया था जो प्रदर्श पी—1 है, फर्द जब्ती मोटरसाईकिल हीरो होण्डा प्रदर्श पी—2 है, दूसरी मोटरसाईकिल फर्द जब्ती प्रदर्श पी—3 है, फर्द जब्ती जीप महिन्द्रा प्रदर्श पी—4 है, फर्द जब्ती देशी कटटा प्रदर्श पी—5 है जिन पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। मुलजिम विजय, रेशम व

पदम सिंह के निशादेही से बिच का बास, मंडावर से भी मोटरसाईकिल बरामद की थी, उस जगह का नक्शा मौका बनाया था जो प्रदर्श पी–6 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। वह मुलजिमों को पहचानता है। हाजिर अदालत मुलजिम रेशम को गवाह द्वारा नाम व शक्ल से सही पहचाना गया।

**15.** अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गयी **जिरह** में उक्त गवाह ने कथन किया है कि वे अपने साथ दो एसएलआर और ड्रेगन लाईट और अनुसंधान बॉक्स शाम को सात बजे लेकर गए थे। घटनास्थल की दूरी थाने से करीब पन्द्रह किलोमीटर होगी। पन्द्रह किलोमीटर पहुंचने में आधा घंटा लगता है। वे रास्ते में नहीं रूके। वे रास्ते में गढी सवाईराम चौकी पर रूके थे जो घटनास्थल के पास में ही है। वे चौकी पर पॉच मिनट रूके थे। उन्होंने चौकी से भी अपने साथ स्टाफ लिया था। चौकी से घटनास्थल पर पहुंचने में पांच छः मिनट ही लगते है। उन्होंने अपनी जीप को घटनास्थल से दूर ही खडा कर दिया था। उन्होंने मुलजिमान को घेरे बंदी करके ही उनको आवाज लगाई थी। घटनास्थल पर पहुंचने पर पौने आठ बज रहे थे। उस समय अंधेरा था। संजू मौके से भाग गया था और राकेश को सभी कर्मचारियों ने मिलकर घेरकर पकडा था। राकेश से उन्होंने एक कट्टा बरामद किया था। कट्टा राकेश के पास था। कट्टा चालू हालत में था तभी वो इसे रख रहे होंगे। उन्होंने जब्ती समय करीब आठ बजे बनाई थी। यह कहना गलत है कि उन्होंने मुलिजमान से कोई हथियार बरादम ना किये हो। यह कहना भी गलत है कि उन्होंने उसे झूठे मुकदमे में फंसाया हो। यह सही है कि राकेश उसके पडोसी गांव का ही है। यह कहना गलत है कि उसकी राकेश से रंजिश हो इसलिए उसे झूठा फंसाया हो। यह कहना गलत है कि उन्होंने मौके पर जाकर कोई कार्यवाही ना की हो और सारी कार्यवाही थाने पर ही की हो।

**16.** पी.डब्ल्यू. 02 गोविन्द ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 14.09.2016 को वह थाना रैणी में कानि. के पद पर तैनात था। उस दिन एसएचओ साहब के साथ वह व अरूण कुमार एचसी, चेतराम, ओमप्रकाश कानि. व धारासिंह व जीप चालक हरिकिशन के साथ वे करीब सात बजे थाने से निकले थे। एसएचओ साहब को जर्ये मुखबीर सूचना मिली थी कि टेलीपाडा की डूंगरी पर कुछ लोग पेट्रोल पम्प को लूटने की योजना बना रहे है। उनके पास हथियार होना बताया व उनके पास एक जीप व दो मोटरसाईकिल होना भी बताया था। इस सूचना पर वे थाने से रवाना हुए। रवाना होने पर एसएचओ साहब ने एक पिस्टल कारतूस के सहित व दो एस.एल.आर. मय राउंड सौ के तथा डैंगन लाईट लेकर रवाना हुए। फिर वे करीब 7:45 पीएम पर टेलीपाडा की डूंगरी के पास पहुंच गए। वहां पर उन्होंने गाडी खडी करके एसएचओ साहब के साथ उनके बताए अनुसार पैदल–पैदल चल दिए। जहां पर गाडी की लाईट जल रही थी तथा चार–पांच आदमी बैठे थे और दो मोटरसाईकिल खडी थी, वे वहां पर पहुंचे। वहां पर संजू और लोगों को समझा रहा था कि आज घडी पेट्रोल पम्प पर काफी पैसे मिलेंगे, हमें इसको लूटना है। उसने रेशम सिंह से कहा कि तुम मोटरसाईकिल लेकर आगे जाना व पुलिस की सूचना हमें देना। राकेश से भी

मोटरसाईकिल लेकर चलने के लिए कहा। विजय सिंह से कहा कि तेरे पास सरिया है, अगर कोई सामना करे तो उसके वार कर देना। संजू ने कहा कि मेरे पास पिस्टल है अगर मेरे सामने कोई आएगा तो मैं उसके उपर फायर कर दूंगा। तुम लोग घबराना मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। पदम ने कहा कि मैं गाडी चलाने में होशियार हूं, मैं गाडी चला लूंगा। आपस में कह रहे थे कि जैसे ही पैट्रोल पम्प से लूट की कार्यवाही हो जाये तो सभी लोग अपनी–अपनी दिशा में चल देना। इस पर एसएचओ साहब ने आवाज लगाई कि तुम्हें पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है। उनमें से उन्होंने चार लोगो को पकड लिया था, उनमें से एक आदमी भाग गया था। उन्होंने जिनको पकडा, उनमें विजय, पदम, संजू व रेशम थे। उनमें से राकेश मौके से भागने में कामयाब हो गया था। मौके से ही उन्होंने इन लोगो के पास से दो मोटरसाईकिल व एक जीप पकडी थी। दोनों मोटरसाईकिल बिना नम्बरी स्पलेण्डर थी। जीप डी.आई. गाडी थी। उन्होंने चारों मुलजिमों को पकडने के बाद उनसे उनके नाम पता पूछे थे, इन चारों मुलजिमों को तलाश करने पर विजय सिंह के पास एक लोहे की रॉड मिली थी, संजू के पास एक देशी कटटा 315 बोर का मिला था। मोटरसाईकिल व जीप के बारे में इन लोगों से आर.सी. के बारे में पूछा तो इन लोगों ने अपने पास नहीं होना बताया तथा इन लोगों ने मोटरसाईकिल व जीप को चोरी की होना बताया था। इनके पास कोई गाडी के कागजात नहीं मिले। संजय उर्फ संजू के पास जो देशी कटटा मिला था, जिसके बारे में उससे लाईसेंस के बारे में पूछा तो उसने अपने पास कोई लाईसेस होना नहीं बताया। मौके पर ही इस कटटे को कारतूस निकालकर जब्त कर लिया और उसे सफेद कपडे की थेली में रखकर सील मोहर कर दिया। लोहे की जो रॉड मिली थी उसे भी जब्त किया तथा मोटरसाईकिल व जीप को भी वजह सबूत जब्त किया था। इसके बाद मुलजिमान को थाना रैणी में लेकर आ गए। घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया था जो प्रदर्श पी–1 है, फर्द जब्ती मोटरसाईकिल हीरो होण्डा प्रदर्श पी–2 है, दूसरी मोटरसाईकिल फर्द जब्ती प्रदर्श पी–3 है, जिन पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। फर्द जब्ती देशी प्रदर्श पी–5 पर भी सी से डी उसके हस्ताक्षर है। मुलजिम विजय, रेशम व पदम सिंह के निशादेही से बिच का बास, मंडावर से भी मोटरसाईकिल बरामद की थी उस जगह का नक्शा मौका बनाया था जो प्रदर्श पी–6 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। मुलजिम राकेश की निशादेही से घटनास्थल का नक्शा बनाया था, जो प्रदर्श पी–7 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। मुलजिम संजू, विजय एवं पदम सिंह, रेशम सिंह को गिरफ्तार किया था एव राकेश को भी गिरफ्तार किया था, जिनकी फर्द गिरफ्तारी कमश प्रदर्श पी–8 लगायत प्रदर्श पी–12 है, जिन पर क्रमशः ए से बी उसके हस्ताक्षर है। उसके सामने लोहे की रॉड को जो मुलजिम विजय सिंह के पास मिली थी उसको जब्त करके फर्द जप्ती बनाई थी। फर्द जप्ती प्रदर्श पी–13 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। फर्द जप्ती मोटरसाईकिल स्पलेण्डर प्रदर्श पी–14 पर भी ए से बी उसके हस्ताक्षर है। वह मुलजिमों को पहचानता है। हाजिर अदालत मुलजिम रेशम को गवाह द्वारा नाम व शक्ल से सही पहचाना गया।

(डॉ. लेखपाल शर्मा, आर.जे.एस.)

**17.** अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गयी **जिरह** में उक्त गवाह ने कथन किया है कि सूचना एसएचओ को मिली थी लेकिन कितने बजे मिली, उसे पता नहीं। उन्होंने सूचना मिलने के बाद रवानगी का रोजनामचा दर्ज किया या नहीं उसे पता नहीं। यह सही है कि जिस जगह मुलजिमान बैठे थे वो आम रास्ता है और लोग बाग आते–जाते रहते है। वे मौके पर पौने आठ बजे पहुंच गए थे। जिस जगह पर सूचना मिलने पर बताया था उसी जगह मुलजिमान उन्हें बैठे मिले थे। यह सही है कि उन्होंने अपनी गाडी को मौके से आधा किमी. पहले खडी कर दी थी। यह सही है जिस जगह मुलजिमान बैठे थे उस जगह से पांच फुट दूरी से भी लोग आते हुए नजर आ जाते है। उन्होंने मुलजिमान की बाते करीब पचास फुट दूरी से सुनी थी। उस समय अंधेरा हो रहा था। यह कहना गलत है कि वे एक साथ एक ही दिशा में गए हो बल्कि वे अलग अलग दिशा से गए थे। वह पूर्व दिशा की ओर से गया था। एसएचओ व अन्य कानिस्टेबल किस किस दिशा से गए, उसे पता नहीं। यह सही है कि किसी भी मुलजिम ने पुलिस पर कोई हमला या मारपीट नहीं की। यह सही है कि पहाडी के नीचे मुलजिमान बैठे थे जहां से चारों तरफ से खुला है। यह सही है कि जिस जगह पर मुलजिमान बैठे थे उस जगह से बीस कदम दूरी पर आम रास्ता है और यह भी सही है कि उस स्थान से सो फीट दूरी पर ही गढी सवाईराम लक्ष्मणगढ हाईवे रोड है। यह भी सही है कि गढी सवाईराम लक्ष्मणगढ रोड पर कोई भी पेट्रोल पम्प नहीं है बल्कि मंडावर रोड पर पेट्रोल पम्प है। यह सही है कि मुलजिमान ने अपने सभी हथियार खुले में ही अपने पास रखे हुए थे। यह सही है कि उन्होंने मुलजिमान की बातचीत एक साथ बीस फुट की दूरी से सुनी थी। यह सही है कि जिस जगह से उन्होंने उनकी बाते सुनी वहां से उन्हें सभी मुलजिमान बैठे और बातचीत करते हुए आसानी से नजर आ रहे थे। पांचों मुलजिमान खडे हुए थे। यह सही है कि यदि मुलजिमान भागना चाहते तो वहां से भाग सकते थे क्योंकि वहां पर भागने की काफी जगह थी। यह सही है कि वह किसी भी मुलजिम को पहले से नहीं जानता। मुलजिमान के नाम पते बाबत उसके सामने कोई दस्तावेज एसएचओ को नहीं देखा। दोनों मोटरसाईकिल स्पलेण्डर प्लस थी। जीप डीआई थी। जीप पर नम्बर लिखे थे और मोटरसाईकिलों पर नम्बर नहीं थे। लोहे की रॉड करीब तीन फिट लंबी थी। जो मौके पर ही पडी हुई थी। लोहे की रॉड का रंग नहीं था वह पुरानी थी और जंग लगा था। रॉड कितनी मोटी थी उसे ध्यान नहीं है। आईओ ने उसके बयान 15.09.2016 को लिए थे। नक्शा मौका दिनांक 15.09 को ही बनाया था। उस समय वह, अरूण, चेतराम व ओमप्रकाश मौजूद थे। घटनास्थल तेलीवाडा की तरफ दक्षिण को जंगल हैं और तरफ पश्चिम में भी जंगल है व पूर्व में पहाड है। नक्शा मौका प्रदर्श पी–1 का हालात मौका उसे पढकर नहीं सुनाया इसलिए इसमें क्या लिखा है उसे पता नहीं। मोटरसाईकिल जब्ती प्रदर्श पी–2 व 3 पन्द्रह तारीख को बनाई थी। जब्ती के समय वह और चेतराम मौजूद थे। जब्ती उन्होंने दूसरे दिन मौके पर ही बनाई थी। प्रदर्श पी–2 व 3 जब दूसरे दिन बनाई तो मोटरसाइकिल मौके पर खडी थी। मुलजिमान से बीचका बास मंडावर जब्त की मोटरसाइकिल बिना नंबर की

थी। उन्होंने मोटरसाइकिल की जब्ती प्रदर्श पी–6 बनाई, उस घर में दो कमरे थे। वहॉ पर एसएचओ ने ही जब्ती बनाई थी। मोटरसाईकिल एक बंद कमरे में मिली थी जिसका ताला तोडकर जब्त की थी। उस मकान में परिवार के लोग रहते है। संजू के मॉ बाप उन्हें मौके पर ही मिले थे। संजू के मकान के तरफ पश्चिम में रास्ता व पूर्व में मकान है जो किसका है उसे पता नहीं। दिनांक 15.09 को मुलजिमान की गिरफ्तारी आईओ ने बनाई थी। विजय के पास से जो लोहे की रॉड मिली, उसकी जब्ती चौदह तारीख को बनाई थी। स्पलेण्डर मोटरसाइकिल काले रंग की थी। रॉड जब्त की, उस पर क्या मार्क डाला, उसे पता नहीं। यह कहना गलत है कि मुलजिमान कोई लूटपाट की योजना ना बना रहे हो और ना ही उनसे कोई जब्ती की हो। यह कहना गलत है कि उसके सामने कोई जब्ती व नक्शा मौका व बरादमगी ना बनाया हो और उसने अपने उच्चाधिकारियों के कहने से हस्ताक्षर किए हो। मुलजिम राकेश से चाकू बरामद हुआ था। संजू से एक कटटा बरामद हुआ। यह कहना गलत है कि मौके पर राकेश मौजूद ना हो। यह कहना गलत है कि उन्होंने सारी कार्यवाही थाने पर बैठकर की हो। जीप पदमसिंह से जब्त हुई थी। पदमसिंह का दांहिना हाथ कटा हुआ है। दांहिना हाथ कटा होने के बावजूद जीप चलाई जा सकती है। जीप घटना वाले दिन ही जब्त की थी। जीप की जब्ती का नक्शा मौका चौदह तारीख को बना लिया था। रेशम के पास मोटरसाईकिल थी। उन्होंने घटना स्थल से ही रेशम को गिरफ्तार किया था। रेशम के पास मोटरसाईकिल मिली। रेशम के पास तलाशी लेने पर मोटरसाईकिल के अलावा और कुछ नहीं मिला। रेशम को चौदह तारीख को गिरफ्तार किया था। यह कहना गलत है कि वे मुलजिम रेशम को पुलिस थाना सदर अलवर से लाकर गिरफ्तार किया हो, जो मोटरसाईकिल जो इसके पास से गिरफ्तार किया था वो बिना नंबरी थी और उसका रंग काला था।

**18.** पी.डब्ल्यू. 03 धारासिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह दिनांक 14.09.2016 को थाना रैणी में कानि. के पद पर कार्यरत था। उस दिन थानाधिकारी श्री जितेन्द्र कुमार एसआई को मिली सूचना के अनुसार वह, कानि. चेतराम, गोविन्दराम, ओमप्रकाश मय सरकारी वाहन व चालक हरिकिशन के साथ थाने से शाम को करीब सात बजे रवाना हुये थे। करीब पौने आठ बजे तेलीवाला डूंगरी पहुंचे। वहां अपना छुपावा हासिल करते हुये पहुंचे तो पहाडी की डूंगरी पर पांच व्यक्ति लाईट जलाकर आपस में बाते कर रहे थे कि आज घडी सवाईवाराम पेट्रोल पम्प को लूटना है, उसमें नकदी मिलेगी, हमारे पास हथियार है यदि पुलिस मिल जाये तो उन पर फायर करना हैं। वहां पर दो मोटरसाईकिल, एक जीप नंबर आरजे 02 सी 0165 खडी थी। करीब आठ बजे एसएचओ साहब व जाप्ते द्वारा बैठे हुये पांच लोगों को ललकारा कि जैसे बैठे है, वैसे बैठे रहे, भागने की कोशिश ना करें। जाप्ता की मदद से चार लोगों को मौके पर पकड लिया, उनमें से एक बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर बाजरे के खेत में भाग गया। भागने वाले बदमाश को कानि. गोविन्दराम द्वारा थाने पर उपलब्ध आपराधिक रिकॉर्ड व पहचान के आधार पर भागने वाले को राकेश मीना निवासी पाली का

**(डॉ. लेखपाल शर्मा, आर.जे.एस.)**

होना बताया जो पकडे गये उनके मुखिया संजू उर्फ संजय मीना जिसके पास एक लोडेड कटटा 315 बोर का मिला व विजयसिंह के पास लोहे की रॉड मिली। कटटे का लाईसेंस नहीं होने पर कटटे को अनलोड करके मौके पर सील मोहर किया और उस पर मार्का ए अंकित किया। मौके पर मिली दो मोटरसाईकिल व जीप को वजह सबूत थानाधिकारी द्वारा जप्त किया गया। यदि उस समय मौके पर बदमाशों को गिरफ्तार नहीं किया जाता तो अवश्य ही पेट्रोल पम्प को लूट लिया जाता। उन बदमाशान का नाम संजू उर्फ संजय, विजयसिंह, रेशम, व पदमसिंह था। भागने वाले का नाम राकेश था। मुलजिम विजयसिंह के कब्जे से एक लोहे की सरिया जप्त किया था जो जप्ती प्रदर्श पी–13 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है।

**19.** अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गयी **जिरह** में उक्त गवाह ने कथन किया है कि वे थाने से करीब शाम को सात बजे रवाना हुये थे। रवानगी की रपट उसने तो नहीं डाली लेकिन एसएचओ साहब ने डाली होगी तो उसे पता नहीं। घटना स्थल पर वे पौने आठ बजे पहुंच गये थे। यह सही है कि दिन छीप गया था और अंधेरा हो गया था। उसने मुलजिमान की सारी वार्तालाप सुनी थी। संजू मीना कह रहा था कि उनके पास कटटा है और गढी सवाईराम पेट्रोल पम्प की लूट को अंजाम देगे। वह मुलजिमान को पहले से नहीं जानता। मुलजिमान आपस में वार्तालाप में एक दूसरे का नाम ले रहे थे और संजू ने कहा कि विजयसिंह तेरे पास लोहे की रॉड है व उसके पास लोडेड कटटा है, पदमसिंह तू तो गाडी चलाने में माहिर है, यदि पुलिस आये तो तू गाडी लेकर भाग जाना। ये सारी बाते संजू कह रहा था। संजू अन्य मुलजिमान को सारी बाते बता रहा था। राकेश कह रहा था कि संजू तेरे पास लोडेड कटटा है और मै मोटर साइकिल चलाकर एक बार पुलिस की लोकेशन देख लेता हूॅ। वे आपस में एक दूसरे का नाम ले रहे थे। उनके व मुलजिमान के बीच वार्तालाप के दौरान पचास साठ मीटर की दूरी थी। वे गाडी से नीचे उतरकर मौके पर पैदल पहुंचे थे। मुलजिमान उनको नजर आ रहे थे। पुलिस जाप्ता मुलजिमान के नजर में नहीं थे। उन्होंने अपना छुपाव हासिल कर रखा था। मुलजिमान को वे दिख रहे हो तो उन्हें पता नहीं है लेकिन वे तो छिपे हुये थे। उन्होंने गाडी को उनसे करीब सौ मीटर पहले छोड दी थी। मुलजिमान ने उनकी गाडी को आते हुये देखा हो तो उन्हें पता नहीं है। राकेश या पदमसिंह में से एक था जिसका कहा गया था कि पुलिस आये तो तू उनको सूचना दे देना। उन्हें पता नहीं है कि उनकी लोकेशन उनमें से किसी को पता थी या नहीं। मुलजिमान वहां पर बैठकर पेट्रोल पम्प को लूटने की योजना बना रहे थे। मुलजिमान ने इससे पहले भी कोई योजना बनाई हो उसके बारे में उसे पता नहीं। उन्होंने तो मौके पर तो सुना था। उसने मुलजिमान के वाहन दो मोटरसाइकिल व एक जीप देखी थी। उनके पास सवारी वाली जीप थी। एसएचओ साहब के साथ वह, चेतराम, गोविन्दराम, ओमप्रकाश थे। वार्तालाप सुनने के समय वे सभी एक जगह ही खडे थे। वे मुलजिमान को पकडने एसएचओ साहब को कहने के बाद ही गये थे। वे मुलजिमान को पकडने

के लिए अलग–अलग दिशा में भागे थे। जहां मुलजिमान वार्ता कर रहे थे वहां से गढी सवाईराम पेट्रोल पम्प की दूरी लगभग तीन चार किलोमीटर की है। वे जहां मुलजिमान वार्ता कर रहे थे वहां पर एसएचओ साहब को मिली सूचना के आधार पर पहुंचे थे। मुलजिमों में से चार को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया था तथा एक मुलजिम भाग गया था। मुलजिमान की गिरफ्तारी पर उसने हस्ताक्षर नहीं किये। मुलजिमान ने गिरफ्तारी के समय कोई प्रतिरोध नहीं किया। मुलजिमान भागने के लिए जैसे ही खडे हुये थे उन्होंने उनको पकड लिया था। ये उसे ध्यान नहीं है कि लोकेशन पर कौनसा मुलजिम था। उन्होंने मौके से संजू उर्फ संजय, रेशम, पदमसिंह, विजयसिंह को गिरफ्तार कर लिया था। यह कहना गलत है कि मुलजिमान ने कोई योजना नहीं बनाई हो। यह कहना गलत है कि उन्होंने ये झूठी घटना गढी हो। यह सही है कि पूरा पुलिस जाप्ता एक ही दिशा से एक साथ गये थे। उस समय अंधेरा था इसलिए वह नहीं बता सकता कि मुलजिमान जहां पर बैठे थे वहां से हमारी जीप दिखाई देती है या नहीं। जिस जगह मुलजिमान बैठे हुये थे वो जगह चारों तरफ से खुली हुई थी। मुलजिमान जिस जगह पर बैठे थे उससे दस पन्द्रह फिट की दूरी पर नहीं है बल्कि करीब सौ मीटर की दूरी पर है। मौके से गढी सवाईराम व लक्ष्मणगढ रोड सौ मीटर की दूरी पर है। उसकी जानकारी नहीं है कि गढी सवाईराम लक्ष्मणगढ रोड पर कोई पेट्रोल पम्प है अथवा नहीं। मुलजिमान एक जगह पर बैठकर बाते कर रहे थे। मुलजिम विजयसिंह से जब्त लोहे की रॉड करीब साढे तीन फिट लंबी थी। उन्हें मौके पर रॉड पडी हुई नहीं मिली थी। लोहे की रॉड पर कोई पहचान चिन्ह नहीं था। रॉड पर जंग नहीं लगी हुई थी। प्रदर्श पी–13 फर्द जब्ती मौके पर ही बनाई थी। वे मौके पर करीब डेढ दो घंटे तक रूके थे। रॉड को सील मोहर नहीं किया था। यह कहना गलत है कि उन्होंने कोई रॉड जब्त नहीं की हो।

**20.** पी.डब्ल्यू. 04 ओमप्रकाश ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह दिनांक 14.09.2016 को थाना रैणी पर कानि. के पद पर तैनात था। उस दिन वह, एसएचओ साहब जितेन्द्र, हैड साहब अरूण कुमार, कानि. गोविन्दराम, कानि. चेतराम, कानि. धारासिंह व जीप चालक हरीकिशन मीना करीब 7 पीएम पर जर्ये मुखबिर के सूचना मिलने पर मय जाप्ता वे लोग रवाना होकर करीब 7:45 पीएम पर तेलीवाडी गढी सवाईराम लक्ष्मणगढ रोड पर पहुंचे। एसएचओ साहब को जरिये मुखबिर सूचना मिली थी कि वहां पर पेट्रोल पम्प लूट पाट की योजना बनाई जा रही है व उनके पास अवैध हथियार है। उक्त मुखबिर की इतला पर एसएचओ साहब द्वारा उच्चाधिकारियों को सूचित किया गया। मय जाप्ता एक पिस्टल, दस राउण्ड, एक ड्रेगन लाईट, 2 एसएलआर मय 100 राउण्ड वास्ते कार्यवाही हेतु रवाना हुए। मुखबीर के बताए गए स्थान से 100 मीटर की दूरी पर जीप सरकारी को खडा करके आगे बढे तो उन्होंने देखा कि दो मोटरसाईकिल व एक जीप तेलीवाडा की डूंगरी पर खडे थे। जहां संजू उर्फ संजय मीना, रेशम सिंह, पदम सिंह, विजय, राकेश मीना पेट्रोल पम्प को लूटने की योजना बना रहे थे। जिसमें संजू बता रहा था उसके पास पिस्टल है और पदम जो गाडी चलाने

में एक्सपर्ट है और राकेश के पास लोहे की रॉड है। सभी पांचों लोग पेट्रोल पम्प को लूटने की प्लानिंग कर रहे थे। फिर हमराही जाप्ता एसएचओ साहब के साथ उक्त पांचों लोगों को घेर लिया था और कहां कि भागने की कोशिश ना करे, पुलिस ने आपको चारों तरफ से घेर लिया है। जिसमें से संजू उर्फ संजय, विजय, रेशम, पदम सिंह को दस्तयाब कर लिया और राकेश मौका देखकर बाजरे की खडी फसल में से भाग गया। संजू उर्फ संजय के पास एक देशी कटटा 315 मय दस राउण्ड, विजय के पास लौहे की रॉड, दो मोटरसाईकिल व एक महिन्द्रा जीप जिसके नंबर आरजे 02 सी 0165 मिले। वहां से महिन्द्रा जीप को कानि. गोविन्दराम चलाकर थाने ले आया और एक मोटरसाईकिल चेतराम कानि. व एक मोटरसाईकिल वह स्वयं थाने पर लेकर आया था। इन सब को लेकर वे थाने आए। दोनों मोटरसाईकिल चोरी की थी जिनको विजय व रेशम ने अलवर से चोरी की थी और जीप भी संजय, राकेश, पदम ने महुआ से चोरी किया था, घ टना में काम में लेने के लिए। थाने पर आने के बाद बारी–बारी सबकी तलाशी की गई। तलाशी लेकर सबको हवालात में बंद कर दिया और सारे माल को थाने पर लेकर आए। उसकी मौजूदगी में मुलजिम पदम सिंह व संजू ने एक जीप महिन्द्रा आईओ द्वारा जब्त की थी। फर्द जब्ती प्रदर्श पी–4 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। राकेश ने घटना का नक्शा मौका तस्दीक करवाया था। तस्दीक घटना का नक्शा मौका प्रदर्श पी–7 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। मुलजिम संजय उर्फ संजू को उसके सामने आईओ ने गिरफ्तार किया था, फर्द गिरफ्तारी बनाई थी जो प्रदर्श पी–8 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। मुलजिम विजय, पदम, रेशम, राकेश को जरिये फर्दात क्रमशः प्रदर्श पी–9, पी–10, पी–11 व पी–12 गिरफ्तार किए थे, जिन पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। मुलजिम विजय ने आईओ को एक मोटरसाईकिल हीरोहोण्डा स्पलेण्डर रंग काला बिना नंबरी जब्त करवाई थी, जिसकी फर्द जब्ती आईओ ने उसके सामने बनाई थी जो प्रदर्श पी–14 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है।

**21.** अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गयी **जिरह** में उक्त गवाह ने कथन किया है कि जब वे तेलीपाडे की डूंगरी में पहुंचे तो उक्त पांचों लोग बात कर रहे थे। ये पेट्रोल पम्प को लूटने की बात कर रहे थे। पांचों व्यक्तियों से लगभग दस फुट दूर दो मोटरसाईकिल व एक जीप खडी थी। उसे व्यक्तिगत कोई सूचना नहीं मिली, एसएचओ साहब को सूचना मिली थी और वे 6 जने पुलिस वाले आईओ के साथ वहां गये थे। उस समय बिल्कुल अंधेरा था। मुलजिम राकेश को कानि. गोविन्दराम पहचानता था, अन्य किसी मुलजिम को कोई नहीं पहचानता था। उसने मुलजिमान को नजदीक आकर 10–15 फुट के फासले से देखा था। सबसे पहले मुलजिमान को गोविन्दराम ने देखा था। उसके बाद वे सभी मुलजिमान के पास पहुंच गए। जीप को वे पहले ही दूर खडी करके पैदल आए थे। जब वे पास पहुंचे तो एक मुलजिम भाग गया और बाकी मुलजिमान को उन्होंने पकड लिया। संजू ने जब कहा कि उनको पेट्रोल पम्प लूटना है तो यह बात वे सभी ने एक

साथ ही सुनी थी। उन्होंने यह भी सुना था कि संजय बोल रहा था कि उसके पास तो कटटा है और विजय के पास रोड है और कोई कर्मचारी विरोध करता है तो उसके सिर में मार देंगे। ये सारी बात संजू ने ही कही थी। ड्रेगन लाईट से उन्होंने मुलजिमान को देख लिया था। जब एसएचओ साहब ने पूछा तो उन्होंने बताया कि विजय मोटरसाईकिल लेकर आया था और रेशम भी मोटरसाईकिल लेकर आया था और पदम, संजू, राकेश महिन्द्रा जीप लेकर आए थे। यह कहना सही है कि उसने राकेश को मौके पर नहीं पहचाना।

**22.** पी.डब्ल्यू. 05 हरिकिशन ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह दिनांक 14.09.2016 को थाना रैणी पर चालक के पद पर तैनात था, उस दिन समय 7 पीएम पर वह गश्त के दौरान श्रीमान एसएचओ साहब जितेन्द्र, हैड साहब अरूण कुमार, कानि. गोविन्दराम, कानि. चेतराम, कानि. धारासिंह, ओमप्रकाश मय सरकारी जीप के रवाना हुए तो जरिये मुखबीर सूचना मिली कि तेलीवाडा की डूंगरी पर पेट्रोल पम्प लूटपाट की योजना बनाई जा रही है व उनके पास एक जीप व दो मोटरसाईकिल खडी है तथा अवैध हथियार भी हो सकते हैं। उक्त मुखबीर की इतला पर एसएचओ साहब द्वारा उच्चाधिकारियों को सूचित किया गया। फिर 07:00 पीएम पर थाने से रवाना हुए और 07:45 पीएम पर तेलीवाडा की डूंगरी पर पहुंचे और डूंगरी से 100 मीटर पहले ही सरकारी वाहन को रोककर एसएचओ साहब मय स्टाफ के उतर गए और अपने आप को छुपाते हुए तेलीवाडा की डूंगरी की तरफ गए और वह जीप में ही रह गया। फिर एसएचओ साहब ने आवाज लगायी कि गाडी लेकर यहां आ जाओ, वह गाडी लेकर वहां पहुंचा तो वहां पर एसएचओ साहब ने चार लोगों को पकडा हुआ था जिनके नाम संजय उर्फ संजू, पदम सिंह, रेश्मसिंह, और विजयसिंह थे। एक राकेश नाम का व्यक्ति था जो फरार हो चुका था। उन लोगों के पास मौके पर एक जीप थी व दो मेाटरसाईकिल स्पलेण्डर प्लस थी। उनके पास एक 315 बोर का कटटा मिला था व एक लोहे की रोड मिली थी। उक्त चारों मुलजिमान को मौके पर ही गिरफ्तार किया व मोटरसाईकिल व कार व 315 बोर का कटटा व रोड को वहीं पर एसएचओ साहब ने जप्त किया था। जप्तशुदा मोटरसाईकिलों को मौके से थाने पर कानि. ओमप्रकाश व चेतराम लेकर आए थे, जिन्हें थाने पर जमा मालखाना करवाया गया।

**23.** अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गयी **जिरह** में उक्त गवाह ने कथन किया है कि यह कहना सही है कि अभियुक्त राकेश मौके पर नहीं मिला था। मुखबीर की सूचना एसएचओ को मिली थी, उसे नहीं मिली। उन्होंने घटनास्थल से 100 मीटर की दूरी पर गाडी रोकी थी। वह तो गाडी के अंदर था, बाहर नहीं आया। वक्त घटना अंधेरा हो गया था। यह कहना सही है कि उसने राकेश को वहां नहीं देखा।

**24.** पी.डब्ल्यू. 07 उमादत्त शर्मा ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह दिनांक 11.11.2016 को कार्यालय जिला कलेक्ट्रेट, अलवर में न्याय शाखा में एलडीसी के पद पर कार्यरत था। उस दिन प्रकरण संख्या 228/2016 में

अभियोजन स्वीकृति श्री मुक्तानन्द अग्रवाल जिला मजिस्ट्रेट, अलवर द्वारा जारी की गयी थी, जो प्रदर्श पी–16 है जिस पर ए से बी एडीएम श्री राजेन्द्र प्रसाद जी के हस्ताक्षर है। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा उक्त गवाह से कोई **जिरह** नहीं की गई।

**25.** पी.डब्ल्यू. 09 जितेन्द्र ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह दिनांक 14.09.2016 को थाना रैणी पर थानाधिकारी के पद पर कार्यरत था। उस दिन उसे सूचना मिली की तेलीवाडा की डूंगरी में कुछ लोग डकैती की योजना बना रहे है, जिस पर हैड कानि. अरूण, कानि. धारासिंह, गोविन्दराम, चेतराम, ओमप्रकाश और जीप सरकारी चालक हरिकिशन के साथ सात पीएम पर मय अनुसंधान बोक्स व ड्रेगन लाईट, एक सरकारी पिस्टल मय दस कारतूस, दो एसएलआर मय 100 कारतूस थाने से रवाना होकर तेलीवाडा की डूंगरी करीब 07:45 पीएम पर मुखबीर के बताए स्थान से करीब 100 मीटर पहले सरकारी जीप को रोककर वह हमराही जाप्ता व सामान सरकारी के पैदल–पैदल छुपाव हासिल करते हुए डूंगरी के पास पहुंचे, जहां पर एक जीप व दो मोटरसाईकिल बिना नंबरी खडी दिखाई दी जिनके आसपास पांच लोग गाडी की लाईट जलाकर आपस में गढी सवाईराम स्थित पेट्रोल पम्प को लूटने की योजना बना रहे थे, जिसमें एक व्यक्ति जो सबको बता रहा था कि ''रेशम सिंह तू मोटरसाईकिल से एक चक्कर काटकर पुलिस की गतिविधि देखते रहना, मैं, राकेश और पदमसिंह तीनों मिलकर पेट्रोल पम्प पर जाकर नकदी छीन लेंगे, विजय सिंह भी मोटरसाईकिल लेकर आ जाएगा, सबने मिलकर कहा कि हॉ संजू भाई आप सही कह रहे हो। आपके पास जो देशी कटटा है उसको लॉड कर लेना, विजय सिंह तेरे पास रोड रहेगी कोई भी उससे मार देना।'' आदि बात सुनकर मन थानाधिकारी जाप्ता के साथ उनको जगह नहीं छोडने के लिए ललकारकर घेरा देकर पकडा, जिसमें एक व्यक्ति अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया, जिसको हमराही जाप्ता कानि. गोविन्द द्वारा पहचान करके बताया कि उक्त भागने वाला व्यक्ति राकेश है। उक्त चारों को जीप व मोटरसाईकिल के कागजात व देशी कटटे के लाईसेन्स के बारे में पूछा तो उक्त तीनों गाडियों चोरी की व देशी कटटा बिना लाईसेन्स का होना बताया। जिस पर उसके द्वारा एक जीप, दो बिना नंबरी मोटरसाईकिल व एक देशी कटटा मय कारतूस व एक रोड को जरिये फर्द मौके पर ही जब्त किया गया व संजू, पदम, रेशम, विजय को जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। मुलजिम रेशम से एक हीरो होण्डा स्पलेण्डर प्लस मोटरसाईकिल रंग काला बिना नंबरी जब्ती की थी, जो प्रदर्श पी–3 है जिस पर ए से बी, सी से डी गवाहान के व ई से एफ मुलजिम के व जी से एच उसके हस्ताक्षर है। मुलजिम पदम सिंह व संजू उर्फ संजय से जीप महिन्द्रा नंबर आरजे 02 सी 0165 को जब्त किया, फर्द जब्ती प्रदर्श पी–4 है जिस पर ए से बी, सी से डी गवाहान के व ई से एफ मुलजिम पदम व जी से एच संजू के व आई से जे उसके हस्ताक्षर है। मुलजिम संजू से एक देशी कटटा 315 बोर मय एक जिंदा कारतूस जब्त किया था, फर्द जब्ती प्रदर्श पी–5 है जिस पर ए से बी, सी से डी

गवाहान के व ई से एफ मुलजिम के व जी से एच उसके हस्ताक्षर है। उक्त देशी कटटे पर एक्स, वाई व जेड तीन जगह नमूना सील अंकित की थी। मुलजिम विजय से एक लौहे की रोड जब्त की थी, जो प्रदर्श पी—13 है जिस पर ए से बी, सी से डी गवाहान के व ई से एफ मुलजिम के व जी से एच उसके हस्ताक्षर है। मुलजिम विजय से एक मोटरसाईकिल बिना नंबरी हीरो स्पलेण्डर जब्त की थी, फर्द जब्ती प्रदर्श पी—14 है जिस पर ए से बी, सी से डी गवाहान के व ई से एफ मुलजिम के व जी से एच उसके हस्ताक्षर है। मुलजिम संजय उर्फ संजू को मौके से ही गिरफ्तार किया था, फर्द गिरफ्तारी व जामा तलाशी प्रदर्श पी—8 है जिस पर ए से बी, सी से डी गवाहान के व ई से एफ मुलजिम के व जी से एच उसके हस्ताक्षर है। मुलजिम विजय को मौके से ही गिरफ्तार किया था, फर्द गिरफ्तारी व जामा तलाशी प्रदर्श पी—9 है जिस पर ए से बी, सी से डी गवाहान के व ई से एफ मुलजिम के व जी से एच उसके हस्ताक्षर है। मुलजिम पदम सिंह को मौके से ही गिरफ्तार किया था, फर्द गिरफ्तारी व जामा तलाशी प्रदर्श पी—10 है, जिस पर ए से बी, सी से डी गवाहान के व ई से एफ मुलजिम के व जी से एच उसके हस्ताक्षर है। मुलजिम रेशम को मौके से ही गिरफ्तार किया था, फर्द गिरफ्तारी व जामा तलाशी प्रदर्श पी—11 है जिस पर ए से बी, सी से डी गवाहान के व ई से एफ मुलजिम के व जी से एच उसके हस्ताक्षर है। उक्त कटटे को नमूना सील किया था, जिसके नमूना सील प्रदर्श पी—17 है जिस पर ए से बी तीन जगह उसके हस्ताक्षर है व एक्स वाई जेड तीन जगह नमूना सील अंकित है। वापसी थाना आकर उक्त प्रकरण में उसके द्वारा मजमून रिपोर्ट दी थी जो प्रदर्श पी—18 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। चाक एफआईआर प्रदर्श पी—19 है, जिस पर भी ए से बी उसके हस्ताक्षर है। उसके द्वारा जब्तशुदा माल को मालखाने में जमा करवाया गया था, जो असल मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी—15 है जिसकी प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी—15/ए है। इस स्तर पर गवाह ने उक्त प्रकरण में जब्तशुदा देशी कटटा 315 बोर मय एक जिंदा कारतूस पेश किया, जो आर्टिकल—1 है। उक्त प्रकरण में जब्तशुदा रोड पेश की जो आर्टिकल—2 है।

**26.** अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गयी **जिरह** में उक्त गवाह ने कथन किया है कि यह कहना सही है कि मुलजिम राकेश मौके पर नहीं मिला था। यह कहना सही है कि उसके द्वारा मुलजिम राकेश से कोई जब्ती की कार्यवाही नहीं की गई और ना ही मुलजिम राकेश को उसने गिरफतार किया। यह कहना सही है कि राकेश से कोई बरामदगी नहीं हुई है। वह राकेश को पूर्व से नहीं जानता था। मुलजिम राकेश का नाम उसे गोविन्द कानि. ने बताया था। यह कहना गलत है कि मुलजिम राकेश को झूठा फंसाने के लिए उसने उसका नाम अंकित किया हो और झूठा केस बनाया हो।

**27.** पी.डब्ल्यू. 12 राजेश कुमार ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह दिनांक 14.09.2016 को पीएस रैणी पर एएसआई के पद पर तैनात था। उस दिन प्रकरण संख्या 228/16 की एफआईआर दर्ज होकर उसे वास्ते अनसुंधान हेतु पत्रावली प्राप्त हुई थी। उसके द्वारा इस प्रकरण में दौराने अनसुंधान गवाह श्री

जीतेन्द्र एसआई, अरूण हैड कानि., धारा सिंह कानि., गोविन्दराम कानि., चेतराम कानि., व ओमप्रकाश कानि. के बयान 161 सीआपीसी उनके कथनानुसार लेखबद्ध किये जाकर शामिल पत्रावली किये। उसके द्वारा घटनास्थल का नक्शा मौका कसीद किया गया था, जो प्रदर्श पी–1 है, जिस पर जी से एच उसके हस्ताक्षर है, जिसकी पुश्त पर आई से जे हालात मौका का अंकन है व जी से एच उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा दौराने अनुसंधान गिरफ्तारशुदा मुलजिम विजय, पदमसिंह व रेशन ने दफा 27 साक्ष्य अधिनियम की इतला इस आशय की दी कि हमारे द्वारा तीन मोटरसाईकिल चोरी की गयी है जो संजू के मकान में बीच का बास मण्डावर में छीपा रखी है। इतला प्रदर्श पी–23 है, जिस पर जी से एच उसके हस्ताक्षर है। मुताबिक इतला मुलजिमान विजय, रेशम व पदमसिंह ने मोटरसाईकिल हिरो होण्डा रंग काला नंबर आरजे 29 एसएफ 0911 व हीरो स्पलेण्डर प्रो रंग काल बिना नंबरी व हिरो होण्डा सीडी डिलक्स रंग काला निला बिना नंबरी जब्त करवायी थी, फर्द जब्ती प्रदर्श पी–2 है जिस पर के से एल उसके हस्ताक्षर है। उक्त बरामदगी का नक्शा मौका मुलजिमान ने उसे तस्दीक करवाया था, नक्शा मौका बरामदगी स्थल प्रदर्श पी–6 है, जिस पर के से एल उसके हस्ताक्षर है। जिसकी पुश्त पर एम से एन हालत बरामदगी अंकित है, जिस पर के से एल उसके हस्ताक्षर है। मुलजिम राकेश को तश्वर फर्द गिरफ्तार किया था, तस्वर फर्द गिरफ्तारी व जामा तलाशी प्रदर्श पी–12 है, जिस पर जी से एच उसके हस्ताक्षर है। गिरफ्तारशुदा मुलजिम ने उसे दफा 27 साक्ष्य अधिनियम की इतला प्रदर्श पी–24 इस आशय की दी कि मैं, संजय, विजय, रेशम सिंह, पदमसिंह जहां पर बैठकर पेट्रोल पम्प लूटने की योजना बना रहे थे, उस जगह को मैं साथ चलकर बता सकता हूँ। इतला प्रदर्श पी–24 पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। उक्त इतला पर मुलजिम राकेश ने घटनास्थल उसे तस्दीक करवाया था, तस्दीक घटनास्थल प्रदर्श पी–7 है जिस पर जी से एच उसके हस्ताक्षर है। जिसकी पुश्त पर आई से जे हालात तस्दीक मौका का अंकन है व जी से एच उसके हस्ताक्षर है। मुलजिम संजय उर्फ संजू की तस्वर गिरफ्तारी उसके द्वारा मुर्तिब की गयी, जो प्रदर्श पी–25 है जिस पर जी से एच उसके हस्ताक्षर है। मुलजिम संजय, पदमसिंह, रेशम, विजय, राकेश के विरूद्ध धारा 399, 402, 379, 411 भा0द0सं0 व 03/25 आर्म्स एक्ट का जुर्म प्रमाणित पाये जाने पर पत्रावली बाद अनुसंधान एसएचओ सुपुर्द की।

**28.** अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गयी **जिरह** में उक्त गवाह ने कथन किया है कि उसे दिनांक 14.09.2016 को उक्त पत्रावली अनुसंधान के लिए मिली थी। यह कहना गलत है कि राकेश को उसके द्वारा गिरफतार नहीं किया गया हो। दिनांक 14.09.2016 को पत्रावली उसे अनुसंधान हेतु मिली, उस दिनांक को राकेश गिरफतार नहीं हो रखा था। वह घटनास्थल पर दूसरे दिन गया था। यह कहना सही है कि उसके द्वारा राकेश को घटनास्थल से गिरफतार नहीं किया गया था। उसके द्वारा राकेश की गिरफतारी मुखवीर की सूचना पर की थी लेकिन उसे आज ध्यान नहीं है कि राकेश की गिरफतारी कहां से की थी, पत्रावली देखकर

बता सकता है। यह कहना गलत है कि राकेश निर्दोष हो और उसके द्वारा उसे झूठा फंसाकर गिरफतार किया गया हो। यह कहना सही है कि राकेश की निशादेही से तस्दीक किया गया घटनास्थल उसके द्वारा पूर्व में देखा हुआ था। यह कहना सही है कि तस्दीक घटनास्थल हेतु राकेश उसके साथ ही गया था। यह कहना गलत है कि उसने गवाह के कहे अनुसार बयान लेखबद्व नहीं किये हो। यह कहना सही है कि उसने किसी भी स्वंतत्र गवाह के बयान नहीं लिये क्योंकि कोई भी गवाह कानूनी कार्यवाही के बीच में पडना नहीं चाहता, इस कारण गवाह बनने को तैयार नहीं हुए। घटनास्थल से थाना रैणी की दूरी लगभग 13–14 किमी है। थाने से घटनास्थल पर पहुचने में 15–20 मिनट का समय लगता है। यह कहना गलत है कि घटनास्थल आम रास्ता हो, जिस पर आम लोग आते–जाते रहते हो।

**29.** पी.डब्ल्यू. 13 अरूण ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह दिनांक 14.09.2016 को थाना रैणी पर हैड कानि0 के पद पर कार्यरत था। उस दिन वह एसएचओ साहब, कानि. गोविन्दराम, चेतराम व ओमप्रकाश, जीप सरकारी चालक थाने पर समय करीब 7 पीएम पर मुताबिक मुखबीर सूचना तेलीवाडा की डूंगरी पर गये। एसएचओ साहब के पास जरिये मुखबीर सूचना आई थी कि तेलीवाडा की डूंगरी पर पेट्रोल पम्प लूटने की योजना बना रहे है व उनके पास अवैध हथियार भी है, इस सूचना पर एक पिस्टल, दो एसएलआर, मय जाप्ता रवाना होकर तेलीवाडा की डूंगरी के पास पहुंचकर एसएचओ साहब के आदेशानुसार बडे बडे पत्थरों के पीछे होते हुए 07:45 पीएम पर तेलीवाडा पहुंचे तथा 100 मीटर दूर रूककर सरकारी जीप को छोडकर पैदल पैदल अपना छुपाव करते हुए मुखबीर के द्वारा बताए हुए स्थान पर पहुंचे तो देखा कि पहाडी के पास दो मोटरसाईकिल एक जीप खडी थी, जिसकी लाईट में पांच व्यक्ति आसपास खडे थे जो आपस में बात कर रहे थे कि एसएचओ साहब मय जाप्ता के उन लोगों की वार्तालाप सुनी। उन पांच आदमीयों में रेशम, विजय, पदम, संजू और राकेश। उक्त पांचों लोग पेट्रोल पम्प लूटने की प्लानिंग कर रहे थे, सभी पांचो को एसएचओ साहब ने ललकारा कि तुम कहीं नहीं हिलोगे। संजू के पास कटटा, विजय के पास लौहे की रोड थे, राकेश अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया। अभियुक्तगण से दो मोटरसाईकिल, एक जीप, कटटा, रोड जब्त किए थे। मोटरसाईकिल के कागजों के बारे में अभियुक्तगण से पूछने पर कागजात नहीं होना बताया व मोटरसाईकिल कहीं से चोरी करना बताया। संजू ने कटटे का लाईसेन्स नहीं होना बताया। जीप को भी महवा से चोरी करना बताया। मोटरसाईकिल, कटटा, जीप, रोड की मौके पर ही जब्त कर कब्जा पुलिस लिया था। चारों मुलजिमान पदम, रेशम, विजय, संजू को मौके से गिरफतार कर लिया था।

**30.** अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गयी **जिरह** में उक्त गवाह ने कथन किया है कि यह सही है कि उन्हें राकेश मौके पर नहीं मिला था। यह सही है कि राकेश से कोई बरामदगी उसके द्वारा नहीं की गई। उसने राकेश को भागते हुए देखा

**(डॉ. लेखपाल शर्मा, आर.जे.एस.)**

था।

**31.** पी.डब्ल्यू. 14 चरण सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह दिनांक 03.10.2016 को पीएस रैणी पर कानि. के पद पर तैनात था। उस दिन प्रकरण संख्या 228/2016 अंतर्गत धारा 399, 402, 379, 411 भा0द0सं0 व 3/25 आर्म्स एक्ट में जब्तशुदा एक अवैध कटटा 315 बोर व एक जिन्दा कारतूस को एचएम मालखाना श्री रामभजन से सील्डशुदा हालत में ले जाकर वास्ते मुआयना हेतु पुलिस लाईन अलवर पहुंचा, जहां पर आरमोरर पूरणसिंह को अवैध कटटा 315 बोर व एक जिन्दा कारतूस का मुआयना करवाकर मय मुआयना रिपोर्ट थाने पर लाया था एवं लाकर एचएम मालखाना को सुपुर्द की थी। उसकी थाने से रवानगी प्रदर्श पी–21 है व वापसी प्रदर्श पी–22 है।

**32.** अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गयी **जिरह** में उक्त गवाह ने कथन किया है कि उसे कटटा मालखाना हैड मोहरी रामभजन जी ने दिया था जो सील्डशुदा था। उस पर क्या सील लगी थी, आज उसे याद नहीं है। यह कहना गलत है कि प्रदर्श पी–21 व 22 पर उसका नाम आईओ ने डाल दिया और वह मैकेनिक मुआयना करने के लिए कटटे को लेकर नहीं गया हो।

**33.** पी.डब्ल्यू. 15 रामभजन ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह दिनांक 14.09.2016 को थाना रैणी पर एचएम मालखाना के पद पर तैनात था। उस दिन प्रकरण संख्या 228/2016 के आईओ श्री जितेन्द्र सिंह एसएचओ द्वारा माल को मालखाने में जमा करवाया था जो मालखाने में रजिस्टर के क्रम संख्या 544 पर दर्ज किया था। असल मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी–15 है जिसकी प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी–15ए है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। उक्त प्रकरण में एक 315 बोर का कटटा व एक जिन्दा कारतूस जो सील्डशुदा थे उनको दिनांक 03.10.2016 को कानि. 1655 रामचरण उर्फ चरण को आरमोरर से मुआयना कराने हेतु दिया था।

**34.** अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गयी **जिरह** में उक्त गवाह ने कथन किया है कि जमा माल पर थाने की सील मौहर लगी हुई थी। माल थाने पर कितने बजे आया था, उसे आज ध्यान नहीं है। सारा माल एक साथ ही जमा मालाखाना हुआ था। यह कहना सही है कि मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी 15 पर एक्स से वाई स्थान पर व्हाईटनर लगा हुआ है उक्त एक्स से वाई स्थान पर अन्य प्रकरण का माल इंद्राज हो गया था।

**35.** पी.डब्ल्यू. 17 पूरन सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह दिनांक 03.10.2016 को आरमोरर के पद पर पुलिस लाईन अलवर में तैनात था। उस दिन थाना रैणी से कानि. चरणसिंह नंबर 1655 मुकदमा 228/2016 में एक सील्डशुदा पैकेट जो इस प्रकरण में जब्तशुदा था, को लेकर आया। जिस पर मार्का ए अंकित था। जिस पैकेट को उसने खोलकर निरीक्षण किया। एक कटटा .315 इंच बोर का देशी बना हुआ था, इसके उपर कोई रजिस्टर्ड नंबर अंकित नहीं थे, कटटे का एक्शन मैकेनिजम ठीक काम कर रहा था। कटटा फायर करने योग्य था। फायर आर्म्स की श्रेणी में आता था। एक कारतूस .315 इंच बोर का

भरा हुआ जिन्दा चालू हालत में था। इसके पेने के उपर केएफ8 एमएम अंकित था। कारतूस फायर करने योग्य था, फायर एम्यूनिशन की श्रेणी में आता था। बाद मुआयना कटटा व कारतूस आमदा कानि. को सील्डशुदा हालत में मय रिपोर्ट संभलाया। उसकी रिपोर्ट प्रदर्श पी–20 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है व एक्स, वाई, जेड तीन स्थान पर नमूना सील अंकित है।

**36.** अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गयी **जिरह** में उक्त गवाह ने कथन किया है कि उसने आरमोरर की ट्रेनिग आरपीटीसी जोधपुर में ली थी। यह सही है कि उसने ट्रेनिंग के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किए है। कटटे से कितने दिन पूर्व फायर हुआ या नहीं, यह वह नहीं बता सकता। यह रिपोट एफएसएल ही दे सकती है। कटटा व कारतूस जब उसके पास निरीक्षण के लिए आए, तब वे सील्ड मोहर थे। यह उसे ध्यान नहीं है कि सील जो लगी हुई थी, वो गोल थी या चौकोर लगी हुई थी। कटटा व कारतूस के साथ थाने से जब्ती की कॉपी आई थी, एसपी साहब का कोई पत्र साथ में नहीं आया था।

**37.** पी.डब्ल्यू. 18 कैलाशचंद ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह दिनांक 11.11.2016 को थानाधिकारी रैणी के पद पर कार्यरत था। उस दिन प्रकरण संख्या 228/2016 की पत्रावली श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, अलवर से चालानी आदेश से वास्ते पेश किए जाने चालान थाने पर उसे प्राप्त हुई थी। जिस पर उसके द्वारा मुलजिम विजय पुत्र रामजीलाल, रेशमसिंह पुत्र संतोक सिंह, पदमसिंह पुत्र बाबूलाल, राकेश कुमार पुत्र रतनचंद, संजय उर्फ संजू पुत्र कालूराम उर्फ काडूराम के विरूद्ध जुर्म धारा 399, 402, 379, 411 भा0द0सं0 व 3/25 आर्म्स एक्ट व 299 सीआरपीसी का अपराध साबित पाए जाने पर चार्जशीट नंबर 225/2016 न्यायालय में पेश की, जो चार्जशीट प्रदर्श पी–25 है जिसके प्रत्येक पृष्ठ पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। उसके द्वारा दिनांक 17.12.2016 को एफआईआर नंबर 228/2016 में तितम्बा चार्जशीट न्यायालय में पेश की गई जो चार्जशीट नंबर 225ए/2016 प्रदर्श पी–26 है जिसके प्रत्येक पृष्ठ पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है।

**38.** अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गयी **जिरह** में उक्त गवाह ने कथन किया है कि यह कहना सही है कि उसके द्वारा उक्त प्रकरण में कोई अनुसंधान नहीं किया गया। यह कहना सही है कि अनुसंधान अधिकारी द्वारा किए गए अनुसंधान को उसके द्वारा सही मानकर चार्जशीट पेश की गई है। यह कहना सही है कि उसके द्वारा पृथक से कोई अनुसंधान कार्यवाही नहीं की गई।

**39.** पत्रावली पर अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त साक्ष्य का विवेचन किये जाने के उपरांत यह दर्शित होता है कि हस्तगत प्रकरण की कार्यवाही प्रकरण में परिवादी जितेन्द्र की ओर से वापसी नकल रपट रोजनामचा प्रदर्श पी–18 के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई है। उक्त प्रदर्श पी–18 में यह तथ्य अंकित है कि दिनांक 14.09.2016 को एसएचओ जितेन्द्र कुमार मय हमराही जाप्ता अरूण कुमार, कानि. धारासिंह, गोविन्दराम, चेतराम, ओमप्रकाश मय जीप सरकारी चालक हरिकिशन के बहवाले रपट संख्या रोज आम का गया हुआ मय

जब्तशुदा एक जीप व दो मोटरसाईकिल, एक देशी कटटा 315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस, एक लोहे की रॉड मय गिरफ्तारशुदा 4 मुलजिमान के वापिस थाना आया। दर्ज रहे कि दिनांक 14.09.2016 को समय करीब 7 पीएम पर एसएचओ को मुताबिक मुखबीर सूचना मिली कि तेलीवाडा की डूंगरी पर 5 व्यक्ति किसी पेट्रोल पम्प को लूटने की योजना बना रहे है, जिनके पास एक जीप व दो मोटरसाईकिल खडी है, जिनके पास अवैध हथियार भी हो सकते हैं। इस सूचना से उच्चाधिकारियों को अवगत कराया गया व मुताबिक निर्देश के मन थानाधिकारी मय जाप्ता एक पिस्टल 10 कारतूस मय 2 एसएलआर मय 100 कारतूस ड्रेगन लाईट मय अनुसंधान बॉक्स के वास्ते कार्यवाही हेतु रवाना हुआ। समस्त हमराही जाप्ता को मुखबीर द्वारा दी गई सूचना से अवगत कराया गया व हिदायत दी गई कि सभी एसएचओ के निर्देशानुसार कार्यवाही करेंगे। थाना हाजा से रवाना होकर सूचना मिलने के स्थान तेलीवाडा की डूंगरी के पास समय करीबन 7.45 पीएम पर पहुंचा, जहां पर मुखबीर द्वारा बताये स्थान से करीब 100 मीटर दूरी पर जीप सरकारी को खडा करके एसएचओ मय जाप्ता ड्रेगन लाईट के पैदल—पैदल छुपाव हासिल करते हुए पहाडी के पास—पास बडे पत्थरों की आड लेते हुए समय करीब 8 पीएम पर मुखबीर के बताये स्थान पर पहुंचे तो देखा कि पहाडी के पास एक जीप व दो मोटरसाईकिल खडी थी, जिनके आसपास पांच व्यक्ति जो गाडी जीप की लाईट जलाकर बैठकर आपस में बाते कर रहे थे। एसएचओ व मय जाप्ता ने उक्त व्यक्तियों के वार्तालाप को सुना तो उनमें से एक शख्स कह रहा था कि "आज अपने को गढी सवाईराम पेट्रोल पम्प को लूटना है, जिसमें काफी नगदी मिलेगी। रेशमसिंह तू मोटरसाईकिल से एक चक्कर काटकर पुलिस की लॉकेशन देख लेना। जैसे ही पुलिस की लॉकेशन दूर हो जाए तो मैं, राकेश, पदमसिंह जीप से व विजय तू अपनी मोटरसाईकिल से पेट्रोल पम्प पर पहुंच जाना। रेशमसिंह तू सडक पर खडा होकर छिपकर हलचल देखते रहना, पुलिस की गाडी आए तो ईशारा करना है। मेरे पास लोडेड कटटा व राकेश के पास चाकू है, तू घबराना मत व विजय तेरे पास जो लोहे की रॉड है, से किसी कर्मचारी के विरोध करने पर सिर में मार देना है। पदमसिंह तेज गाडी चलाने में माहिर है, गाडी चला लेगा। पेट्रोल पम्प से नगदी लूटने के बाद मैं व राकेश, पदमसिंह के साथ जीप में बैठकर व तुम दोनों अपनी—अपनी मोटरसाईकिलों से अलग—अलग दिशाओं में भाग जाना। सभी ने एकराय होकर एक आवाज में कहा कि सन्जू भाई तुम सही कह रहे हो, हम सब आपके कहे मुताबिक की काम करेंगे, फिर भी तुम अपने कटटे को लोड रखना।" इतना सुनकर एसएचओ ने उन्हें ललकार कर कहा कि तुम लोगों को पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, चुपचाप जैसे हो वैसे ही बैठे रहो वरना ठीक नहीं होगा। इतना सुनकर पांचों बदमाशों ने हडबडा कर भागने का प्रयास किया, जिनमें से संजू, पदमसिंह, रेशमसिंह, विजयसिंह को हमराही जाप्ता की मदद से वही दबोच लिया। मगर एक बदमाश खुले जंगल, अंधेरा व बाजरे की खडी फसल का फायदा उठाकर भाग गया, जिसको ड्रेगन लाईट से प्रकाश डालने पर थाना हाजा के कानि. गोविन्दराम द्वारा पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड में नाम होने के कारण राकेश

(डॉ. लेखपाल शर्मा, आर.जे.एस.)

पुत्र रतन निवासी पाली थाना महुवा, जिला दौसा को पहचान लिया था। दस्तयाब होने वाले शख्सों का नाम पता पूछा व तलाशी ली गई तो एक शख्स जो बदमाशों का मुखिया था ने अपना नाम संजू उर्फ संजय पुत्र कालूराम होना बताया। जिसके दांहिने हाथ में एक देशी कटटा 315 बोर लोडेड मिला, जिसको कब्जे पुलिस में लिया गया। दूसरे शख्स ने अपना नाम विजय पुत्र रामजीलाल होना बताया, जिसके दांहिने हाथ में एक लोहे की रॉड मिली, जिसको कब्जे पुलिस में लिया गया। तीसरे शख्स ने अपना नाम रेशमसिंह पुत्र संतोक सिंह होना बताया। चौथे शख्स ने अपना नाम पदमसिंह पुत्र बाबूलाल होना बताया। उक्त शख्सों के पास मिली एक जीप नंबर आरजे 02 सी 0165 के बारे में पूछताछ की तो बताया कि करीब दो—तीन दिन पूर्व महवा कस्बे से चोरी की थी, जिसको आज डकैती के लिए लाये है। पास ही खडी दो मोटरसाईकिल बिना नंबरी हीरो होण्डा स्पलेण्डर प्लस मिली, जिनके चैसिस नंबर ड्रेगन लाईट से देखे गए तो एमबीएलएचए10एएमसी9जी13564 व इंजन नंबर एचए10ईजेसी9जी18753 व दूसरी बिना नंबरी मोटरसाईकिल हीरो होण्डा स्पलेण्डर प्लस चैसिस नंबर एमबीएलएचए10एएमडी9जीओ5554 इंजन नंबर एचए10ईजेडी9406674 खडी हुई मिली, जिनके बारे में उक्त शख्सों से पूछा तो हर दोनों मोटरसाईकिल हीरो होण्डा स्पलेण्डर बिना नंबरी को विजय व रेशमसिंह ने अलवर से व जीप को पदमसिंह, संजू उर्फ संजय व फरार राकेश द्वारा महवा से चोरी करना बताया। जिनके कागजात बाबत पूछा तो अपने पास कोई कागजात होना नहीं बताया तथा उक्त सभी व्यक्तियों के पास सभी वाहन चोरी के होना बताया। शख्स संजू उर्फ संजय से उसके कब्जे में मिले एक देशी लोडेड कटटा 315 बोर को अपने कब्जे में रखने व लाने, ले जाने का वैध लाईसेन्स पूछा तो अपने पास कोई लाईसेन्स नहीं होना बताया।

**40.** अभियोजन कहानी के संदर्भ में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत की गयी मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर न्यायालय का विवेचन बिन्दुवार निम्नानुसार हैः—

**(A)** **<u>जाप्ते की रवानगी के संबंध मेंः—</u>** इस संबंध में विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से यह तर्क उठाया गया है कि प्रकरण में पुलिस जाप्ता जब रवाना होता है तो उनकी रवानगी होती है लेकिन पत्रावली पर अभियोजन पक्ष की ओर से ऐसा कोई दस्तावेज प्रदर्शित नहीं कराया गया है जिसके आधार पर हस्तगत प्रकरण में पुलिस जाप्ता की रवानगी अभियुक्त के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु दर्शित होती हो। जिसका लाभ अभियुक्त प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

इस संबंध में अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित गवाह पी.डब्ल्यू. 09 जितेन्द्र कुमार ने यह स्वीकार किया है कि जब जाप्ता थाने से रवाना हुआ तो रवानगी रपट तैयार की जाती है और रवानगी होती है लेकिन पत्रावली पर प्रस्तुत प्रदर्श पी—18 जिसके माध्यम से जाप्ते की वापसी रपट रोजनामचा अंकित की गयी है, उसमें भी जाप्ते की रवानगी की रपट के आगे कोई रपट संख्या अंकित नहीं है बल्कि रपट संख्या की जगह खाली छोडी गयी है जिसके आधार पर इस

(डॉ. लेखपाल शर्मा, आर.जे.एस.)

प्रकरण में पुलिस जाप्ते की रवानगी के संबंध में संदेह उत्पन्न होता है। इस संबंध में न्यायिक दृष्टान्त **2020(1) CJ(Cri) (Raj.) 401, Amit singh & Anr. Vs. State of Raj., S.B. Criminal Appeal No. 455 of 2005 decided on 10-01-2020** में यह अभिनिर्धारित किया है कि– "Penal code, 1860- Secs. 399/402- Conviction- Sustainability- Case of prosecution that the police party was apprised about the committing of offence- However, neither any rojnamcha entry pertaining to the departure was made nor the significant information give by witness M was entered- Parcha Kaymi also does not bear the signatures of this witness- Evidence of case revealing that the prosecution theory regarding the accused having been overheard by witness R while hatching a conspiracy to loot a bank is nothing but a sheer exaggeration- Conviction cannot be sustained." हस्तगत प्रकरण में भी संबंधित पुलिस जाप्ता की रवानगी का कोई दस्तावेज अभियोजन पक्ष की ओर से प्रदर्शित नहीं करवाया गया है। इसके अतिरिक्त प्रदर्श पी–18 में भी जाप्ता की रवानगी की रपट संख्या की जगह खाली रखी गयी है, जिसमें कोई रपट रवानगी रोजनामचा आम का क्रमांक अंकित नहीं है। जिसके आधार पर प्रश्नगत प्रकरण में घटना दिनांक को पुलिस जाप्ता की रवानगी संदेहप्रद प्रकट होती है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्त हस्तगत प्रकरण में पूर्ण रूप से चस्पा होता है और विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से दिया गया उक्त तर्क माने जाने योग्य पाया जाता है।

इसके अतिरिक्त पुलिस जाप्ते की रवानगी के संबंध में अभियोजन साक्षी पी.डब्ल्यू. 01 चेतराम द्वारा अपने बयानों में यह कथन किये गये है कि पुलिस जाप्ता घटना दिनांक को घटनास्थल पर पहुंचने से पहले गढी सवाईराम चौकी पर रूका था, वहां से चौकी का स्टाफ साथ लिया था, लेकिन पत्रावली पर ऐसी कोई अन्य साक्ष्य अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत नहीं हुई है, जो अभियोजन पक्ष के गवाह पी.डब्ल्यू. 01 चेतराम के कथनों की पुष्टि करती हो, ना ही इस संबंध में कोई साक्ष्य पत्रावली पर पेश हुई है कि जाप्ता घटना दिनांक को पुलिस चौकी गढी सवाईराम पर रूका हो और वहां से पुलिस चौकी का स्टाफ साथ लिया हो। जिसके आधार पर हस्तगत प्रकरण में पुलिस जाप्ता की रवानगी पर गंभीर प्रश्नचिहन उत्पन्न होता है। इस संबंध में विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से पेश किये गये तर्क को बल प्राप्त होता है।

**(B) <u>मौके पर अभियुक्तगण के मध्य डकैती की योजना हेतु की गयी बातचीत के संबंध में:–</u>** इस संबंध में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रदर्शित कराये गये दस्तावेज प्रदर्श पी–18 में अंकित तथ्यों के आधार पर यह दर्शित होता है कि प्रकरण में की गयी कार्यवाही में बरवक्त घटना पुलिस जाप्ते के रूप में परिवादी जितेन्द्र कुमार के साथ अन्य पुलिसकर्मी अरूण कुमार, धारासिंह, गोविन्दराम, चेतराम, ओमप्रकाश व चालक हरिकिशन मौके पर प्रत्यक्षदर्शी के रूप में मौजूद थे, जिनकी साक्ष्य का विवेचन अभियोजन कहानी के लिए महत्वपूर्ण है। उक्त सभी

(डॉ. लेखपाल शर्मा, आर.जे.एस.)

प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों की साक्ष्य के आधार पर यह दर्शित होता है कि प्रदर्श पी–18 में बरवक्त घटना मौके पर पहुंचे जाप्ते द्वारा मुलजिमान के बीच हो रही बातचीत के संबंध में यह अंकित है कि, "उनमें से एक शख्स कह रहा था कि आज अपने को गढी सवाईराम पेट्रोल पम्प को लूटना है, जिसमें काफी नगदी मिलेगी। रेशमसिंह तू मोटरसाईकिल से एक चक्कर काटकर पुलिस की लॉकेशन देख लेना। जैसे ही पुलिस की लॉकेशन दूर हो जाए तो मैं, राकेश, पदमसिंह जीप से व विजय तू अपनी मोटरसाईकिल से पेट्रोल पम्प पर पहुंच जाना। रेशमसिंह तू सडक पर खडा होकर छिपकर हलचल देखते रहना, पुलिस की गाडी आए तो ईशारा करना है। मेरे पास लोडेड कटटा व **राकेश के पास चाकू है**, तू घबराना मत व विजय तेरे पास जो लोहे की रॉड है, से किसी कर्मचारी के विरोध करने पर सिर में मार देना है। पदमसिंह तेज गाडी चलाने में माहिर है, गाडी चला लेगा। पेट्रोल पम्प से नगदी लूटने के बाद मैं व राकेश, पदमसिंह के साथ जीप में बैठकर व तुम दोनों अपनी–अपनी मोटरसाईकिलों से अलग–अलग दिशाओं में भाग जाना। सभी ने एकराय होकर एक आवाज में कहा कि सन्जू भाई तुम सही कह रहे हो, हम सब आपके कहे मुताबिक की काम करेंगे, फिर भी तुम अपने कटटे को लोड रखना।"

इस संबंध में मौके के प्रत्यक्षदर्शी साक्षीगण जो न्यायालय के समक्ष गवाहान पी.डब्ल्यू. 01 चेतराम, पी.डब्ल्यू. 02 गोविन्दराम, पी.डब्ल्यू. 03 धारासिंह, पी.डब्ल्यू. 4 ओमप्रकाश, पी.डब्ल्यू. 05 हरिकिशन व पी.डब्ल्यू. 13 अरूण सिंह के रूप में परीक्षित हुए हैं, जिन्होंने यद्यपि मौके पर उपस्थित मुलजिमान के बीच डकैती की योजना बनाये जाने के संबंध में बातचीत किये जाते हुए सुने जाने के कथन अवश्य किये है लेकिन किस मुलजिम द्वारा क्या बात बोली जा रही थी अथवा किस मुलजिम द्वारा डकैती की योजना के तहत क्या कार्य किया जाना प्रस्तावित था, ऐसा कोई स्पष्ट कथन उक्त गवाहान द्वारा अपने कथनों में नहीं किये गये है। जिसके आधार पर उक्त मुलजिमान के बीच प्रदर्श पी–18 में अंकित बातचीत के तथ्यों की पुष्टि नहीं हो पाती है। उक्त सभी गवाहान द्वारा प्रदर्श पी–18 में अंकित बातचीत का सम्पूर्ण ब्यौरा अपने कथनों में नहीं किया है। यद्यपि अभियोजन साक्षी पी.डब्ल्यू. 09 जितेन्द्र कुमार द्वारा अपने बयानों में यह कथन अवश्य किए हैं कि पांच लोग गाडी की लाईट जलाकर आपस में गढी सवाईराम स्थित पेट्रोल पम्प को लूटने की योजना बना रहे थे, जिसमें एक व्यक्ति जो सबको बता रहा था कि रेशम सिंह तू मोटरसाईकिल से एक चक्कर काटकर पुलिस की गतिविधि देखते रहना, मैं, राकेश और पदमसिंह तीनों मिलकर पेट्रोल पम्प पर जाकर नकदी छीन लेंगे, विजय सिंह भी मोटरसाईकिल लेकर आ जाएगा, सबने मिलकर कहा कि हॉ संजू भाई आप सही कह रहे हो। आपके पास जो देशी कटटा है उसको लॉड कर लेना, विजय सिंह तेरे पास रोड रहेगी कोई भी उससे मार देना। इस प्रकार गवाह पी.डब्ल्यू. 09 जितेन्द्र द्वारा किए गए उक्त बयानों के साथ प्रदर्श पी–18 में अंकित इस संबंध में तथ्यों को एक साथ देखने पर यह दर्शित होता है कि प्रदर्श पी–18 में उक्त बातचीत में अभियुक्त राकेश के

पास चाकू होने के संबंध में तथ्य अंकित है, वही गवाह पी.डब्ल्यू. 09 जितेन्द्र कुमार द्वारा अपने कथनों में मुलजिमान के बीच हुई बातचीत में ऐसा कोई तथ्य अंकित नहीं है कि अभियुक्त राकेश के पास चाकू होने के संबंध में मुलजिमान के बीच बातचीत हो रही हो। इसके अतिरिक्त उक्त गवाह पी.डब्ल्यू. 09 जितेन्द्र के कथनों की पुष्टि अन्य किसी प्रत्यक्षदर्शी जाप्ता सदस्य द्वारा नहीं की गयी है।

इसके अतिरिक्त जहां अभियोजन साक्षीगण पी.डब्ल्यू. 01 चेतराम, पी.डब्ल्यू. 02 गोविन्द व पी.डब्ल्यू. 04 ओमप्रकाश मुलजिमान के बीच हो रही उक्त बातचीत में संजू के हाथ में पिस्टल होने के संबंध में सुना जाना कथन करते हैं, वही गवाह पी.डब्ल्यू. 09 जितेन्द्र कुमार अपने बयानों में ऐसा कोई कथन नहीं करता है कि मुलजिमान के बीच इस संबंध में बातचीत होते समय अभियुक्त संजू के पास पिस्टल होने की बात मुलजिमान द्वारा कथन की गयी हो बल्कि उक्त गवाह पी. डब्ल्यू. 09 जितेन्द्र कुमार के अनुसार संजू के पास देशी कटटा होने के संबंध में मुलजिमान द्वारा बातचीत किए जाने के संबंध में कथन किए है, जिसके आधार पर उक्त गवाहान के कथनों में परस्पर विरोधाभास प्रकट होता है।

(C) **<u>मौके पर की गयी जप्तियों के संबंध में:–</u>** इस संबंध में अभियोजन कहानी के अनुसार मुलजिमान के कब्जे से बरवक्त घटना एक जीप व दो मोटरसाईकिल बिना नंबरी घटना दिनांक 14.09.2016 को ही जब्त किया जाना बताया गया है, जिसके संबंध में गवाह पी.डब्ल्यू. 09 जितेन्द्र कुमार के अनुसार फर्द जब्ती एक हीरो होण्डा स्पलेण्डर मोटरसाईकिल रंग काला बिना नंबरी जरिये फर्द प्रदर्श पी–3 मुलजिम रेशम व एक मोटरसाईकिल बिना नंबरी हीरो स्पलेण्डर जरिये फर्द जब्ती प्रदर्श पी–14 मुलजिम विजय से जब्त किए जाने के संबंध में कथन किए गए हैं। उक्त गवाह के कथनानुसार बताई गई जब्ती प्रदर्श पी–3 के मौतबिरान चेतराम व गोविन्द है, जिनमें से गवाह चेतराम न्यायालय के समक्ष पी.डब्ल्यू. 01 के रूप में परीक्षित होकर अपने बयानों में यह कथन तो अवश्य करता है कि मौके से मुलजिमान के पास से दो मोटरसाईकिल व एक जीप पकडी थी। दोनों मोटरसाईकिलें बिना नंबरी थीं लेकिन उक्त गवाह द्वारा अपने कथनों में ऐसा कोई तथ्य दर्शित नहीं किया है कि उक्त दोनों मोटरसाईकिले अभियुक्त विजय व रेशम के कब्जे से बरामद की गयी हो बल्कि उक्त गवाह द्वारा जिरह के दौरान यह स्वीकार किया गया है कि मौके पर जब्त की गयी मोटरसाईकिलों में से एक मोटरसाईकिल की जब्ती प्रदर्श पी–2 है व दूसरी मोटरसाईकिल की जब्ती प्रदर्श पी–3 है जिन पर उसके हस्ताक्षर है, जिसके आधार पर यह जाहिर होता है कि जहां गवाह पी.डब्ल्यू. 09 जितेन्द्र कुमार मौके से जब्त की गयी मोटरसाईकिलों के संबंध में फर्द जब्ती प्रदर्श पी–3 व प्रदर्श पी–14 के माध्यम से जब्ती बनाना कथन करता है वही घटना दिनांक के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी गवाह पी.डब्ल्यू. 01 चेतराम द्वारा दोनों मोटरसाईकिलों की जब्ती जरिये फर्द प्रदर्श पी–3 व प्रदर्श पी–2 के माध्यम से जब्त किया जाना कथन करता है जबकि फर्द प्रदर्श पी–2 के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि उक्त फर्द जब्ती प्रदर्श पी–2 दिनांक 16.09.2016 को मुर्तिब की गयी है, जिसमें तीन मोटरसाईकिलों की जब्ती का इन्द्राज किया हुआ

है, जिसके आधार पर गवाह पी.डब्ल्यू. 09 जितेन्द्र कुमार व पी.डब्ल्यू. 01 चेतराम के कथनों में परस्पर विरोधाभास प्रकट होता है। इसी प्रकार गवाह पी.डब्ल्यू. 13 अरूणसिंह ने अपनी जिरह के दौरान यह कथन किए हैं कि प्रकरण में जब्तशुदा मोटरसाईकिल व जीप किस कम्पनी, किस रंग व किस नंबर की है, उसे ध्यान नहीं है तथा वह मुलजिमान को नहीं पहचान सकता है, जिसके आधार पर भी यह तथ्य दर्शित होता है कि अभियोजन कहानी के अनुसार प्रकरण में मुलजिमान के कब्जे से बरामदशुदा जीप व मोटरसाईकिलों की जब्ती संदेहास्पद प्रकट होती है। इसके अतिरिक्त गवाह पी.डब्ल्यू. 01 चेतराम जिरह के दौरान मौके पर मुलजिमान के कब्जे से जब्त की गयी मोटरसाईकिलों की फर्द जब्ती 16 तारीख को बनाये जाने के संबंध में कथन करता है और जो दूसरी मोटरसाईकिल जब्त की गयी है, उसमें से दूसरी मोटरसाईकिल को भी 16 तारीख को जब्त किया जाना कथन करता है, जिससे मौके पर की गयी कार्यवाही के दौरान मुलजिमान के कब्जे से कथित बरामदशुदा मोटरसाईकिलों के संबंध में जाप्ता के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी पी. डब्ल्यू. 01 चेतराम के कथनों के आधार पर महत्वपूर्ण विरोधाभास प्रकट होता है।

इसके अतिरिक्त प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी द्वारा दिनांक 16.09.2016 को जरिये फर्द प्रदर्श पी–2 अभियुक्तगण विजय, रेशमसिंह व पदमसिंह की इत्तला अंतर्गत धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के आधार पर तीन मोटरसाईकिलें अभियुक्त संजू उर्फ संजय के घर से बरामद किया जाना बताया गया है जिसके संबंध में गवाह पी.डब्ल्यू. 12 राजेश कुमार जो कि प्रकरण का अनुसंधान अधिकारी है, ने अपने बयानों में यद्यपि इस संबंध में मुलजिमान विजय, रेशमसिंह व पदमसिंह द्वारा दी गई इत्तला अंतर्गत धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम बताते हुए उनकी इत्तला के आधार पर अभियुक्त संजु उर्फ संजय के रिहायशी मकान बीचका बास, मण्डावर से तीन मोटरसाईकिलें जरिये फर्द प्रदर्श पी–2 जब्त किये जाने के कथन किए गए हैं लेकिन मुलजिमान द्वारा दी गई इत्तला प्रदर्श पी–23 के अवलोकन किए जाने से यह तथ्य दर्शित होता है कि उक्त इत्तला में अभियुक्तगण विजय, पदमसिंह व रेशमसिंह द्वारा एक साथ संबंधित अनुसंधान अधिकारी को सूचना दिये जाने का तथ्य अंकित किया है लेकिन किस मुलजिमान ने क्या सूचना अनुसंधान अधिकारी को दी गई, इसका खुलासा पृथक से इस फर्द में अंकित नहीं है, जो उक्त फर्द प्रदर्श पी–23 की वैधता पर प्रश्नचिन्ह लगाता है। उक्त बरामदगी के संबंध में प्रदर्श पी–2 के गवाह पी.डब्ल्यू. 01 चेतराम द्वारा अपनी जिरह में यह कथन किए गए हैं कि मोटरसाईकिल दो जब्त की गयी थी, दूसरी मोटरसाईकिल 16 तारीख को जब्त की गई है जबकि प्रदर्श पी–2 में तीन मोटरसाईकिलों का इन्द्राज है। गवाह पी. डब्ल्यू. 01 चेतराम ने जिरह के दौरान यह कथन किए गए हैं कि उन्होंने 15 तारीख को मुलजिमान रेशमसिंह, विजय व पदमसिंह की निशादेही से बीच का बास, मण्डावर का नक्शा मौका प्रदर्श पी–6 बनाया गया था जबकि प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी के अनुसार मुलजिमान की निशादेही से मोटरसाईकिलों की जब्ती दिनांक 16.09.2016 को बताई गई है। इस प्रकार गवाह पी.डब्ल्यू. 01

(डॉ. लेखपाल शर्मा, आर.जे.एस.)

चेतराम के कथनों के आधार पर यह संदेह उत्पन्न होता है कि जब मुलजिमान की निशादेही से मोटरसाईकिलों की जब्ती ही दिनांक 16.09.2016 को की गयी थी तो प्रदर्श पी—6 नक्शा मौका निशानदेही पन्द्रह तारीख को किस प्रकार बनाया जाना संभव है। इसके अतिरिक्त गवाह पी.डब्ल्यू. 02 गोविन्द जो कि फर्द प्रदर्श पी—2 का गवाह है, उसके द्वारा अपने बयानों में जिरह के दौरान यह कथन किए गए हैं कि मौके से दो मोटरसाईकिलें जब्त की गयी थी, जिनकी जब्ती प्रदर्श पी—2 व प्रदर्श पी—3 पन्द्रह तारीख को बनाई थी। जब्ती के समय वह व चेतराम मौजूद थे। जब्ती उन्होंने दूसरे दिन मौके पर ही बनाई थी। **प्रदर्श पी—2 व प्रदर्श पी—3 जब दूसरे दिन बनाई, तब मोटरसाईकिले मौके पर ही खडी थी।** इस प्रकार उक्त गवाहान ने प्रदर्श पी—2 के माध्यम से घटनास्थल से मोटरसाईकिलों की जब्ती के संबंध में कथन किए गए हैं जो दो मोटरसाईकिल के संबंध में किए गए है और उनकी जब्ती प्रदर्श पी—2 व प्रदर्श पी—3 दूसरे दिन बनाया जाना कथन किए है। मौके से जब्त की गयी दो मोटरसाईकिलों के संबंध में फर्द जब्ती के गवाह पी.डब्ल्यू. 09 जितेन्द्र के अनुसार क्रमशः प्रदर्श पी—3 व प्रदर्श पी—14 बताई गई है जबकि गवाह पी.डब्ल्यू. 02 गोविन्द मौके से जब्त की गयी दो मोटरसाईकिलों की जब्ती प्रदर्श पी—2 व प्रदर्श पी—3 बताता है लेकिन उक्त गवाह ने अपनी जिरह के दौरान मुलजिमान से बीचका बास, मण्डावर से जब्त की गयी बिना नंबरी मोटरसाईकिलों के संबंध में जब्ती प्रदर्श पी—6 बनाई जाना कथन करता है जबकि अनुसंधान अधिकारी द्वारा उक्त मोटरसाईकिलें जरिये फर्द प्रदर्श पी—2 के माध्यम से जब्त किया जाना बताया गया है जबकि फर्द प्रदर्श पी—6 नक्शा मौका बरामदगी स्थल बताया गया है। इस प्रकार गवाहान पी.डब्ल्यू. 01 चेतराम व पी.डब्ल्यू. 02 गोविन्द के बयानों के आधार पर भी प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी पी.डब्ल्यू. 12 राजेश कुमार के इन कथनों की पुष्टि नहीं होती है कि मुलजिमान रेशमसिंह, पदमसिंह व विजय की निशानदेही से अभियुक्त संजू उर्फ संजय के घर से जरिये फर्द प्रदर्श पी—2 तीन मोटरसाईकिलें जब्त की गयी हो।

इसके अतिरिक्त जहां अभियोजन कहानी के अनुसार **मौके से घटना दिनांक 14.09.2016 को अभियुक्तगण संजू, पदमसिंह, विजयसिंह व रेशम को पकडे जाना व अन्य अभियुक्त राकेश कुमार का मौके से भाग जाने का तथ्य अंकित किया है।** इस संबंध में गवाह पी.डब्ल्यू. 01 चेतराम का कथन रहा है कि मौके से अभियुक्तगण विजय, पदम, संजू व रेशम को पकड लिया था जबकि राकेश मौके से भागने में कामयाब रहा। उक्त गवाह का यह भी कहना है कि वह मुलजिम राकेश व पदम व संजू को पहले से जानता था जबकि उक्त गवाह पी. डब्ल्यू. 01 चेतराम द्वारा प्रतिपरीक्षण के दौरान यह कथन किए गए है कि संजू मौके से भाग गया था। राकेश को सभी कर्मचारियों ने मिलकर घेरकर पकडा था। कटटा राकेश के पास था। जबकि अभियोजन पक्ष की ओर से वापसी नकल रपट रोजनामचा प्रदर्श पी—18 जिसके आधार पर हस्तगत प्रकरण संस्थित हुआ है, में यह तथ्य अंकित किया हुआ है कि मौके से संजू, पदमसिंह, रेशम व विजय को पकडा गया था जबकि एक बदमाश मौके से भाग गया था, जिसकी पहचान

(डॉ. लेखपाल शर्मा, आर.जे.एस.)

गोविन्द कानि. द्वारा अभियुक्त राकेश के रूप में की गई थी। उपरोक्त आधारों पर गवाह पी.डब्ल्यू. 01 चेतराम द्वारा किए गए परस्पर विरोधाभासी कथनों से उक्त गवाह के कथनों की विश्वसनीयता प्रमाणित नहीं होती है और अभियोजन कहानी की ताईद नहीं करती है।

इसी अनुक्रम में पी.डब्ल्यू. 01 चेतराम द्वारा यह कथन भी किए गए हैं कि ड्रेगन लाईट जलाई तो मुलजिमान के चेहरे उन्होंने पहचान लिए थे लेकिन अभियोजन पक्ष की ओर से अभियुक्त राकेश की शिनाख्तगी कार्यवाही उक्त गवाह पी.डब्ल्यू. 01 चेतराम से कराई गई हो, ऐसा कोई तथ्य पत्रावली पर दर्शित नहीं होता है। इसी संबंध में गवाह पी.डब्ल्यू. 02 गोविन्द द्वारा अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्पष्ट कथन किए गए हैं कि वह किसी भी मुलजिम को पहले से नहीं जानता। जबकि अभियोजन कहानी के अनुसार यह बताया गया है कि मौके से भागे हुए व्यक्ति की पहचान गोविन्द द्वारा अभियुक्त राकेश के रूप में की गई थी। ऐसी स्थिति में गवाह पी.डब्ल्यू. 02 गोविन्द के कथनों के आधार पर यह तथ्य स्वतः ही प्रमाणित नहीं होता है कि मौके से भागे हुए व्यक्ति की पहचान अभियुक्त राकेश के रूप में पुलिस जाप्ते के सदस्य गोविन्द कानि. द्वारा की गई हो। क्योंकि इस संबंध में पी.डब्ल्यू. 02 गोविन्द द्वारा स्पष्ट रूप से प्रतिपरीक्षण के दौरान यह स्वीकार किया गया है कि वह किसी भी मुलजिम को पहले से नहीं जानता था। यद्यपि अभियोजन साक्षीगण पी.डब्ल्यू. 03 धारासिंह, पी.डब्ल्यू. 04 ओमप्रकाश, पी.डब्ल्यू. 05 हरिकिशन, पी.डब्ल्यू. 09 जितेन्द्र, पी.डब्ल्यू. 13 अरूण द्वारा एकस्वर में यह कथन अवश्य किए गए हैं कि दौराने कार्यवाही मौके से एक व्यक्ति भागने में सफल रहा था लेकिन भागे हुए व्यक्ति की पहचान के संबंध में अभियोजन कहानी यह रही है कि मौके से भागने वाले व्यक्ति को जाप्ते के सदस्य गोविन्द द्वारा अभियुक्त राकेश के रूप में पहचान लिया गया था लेकिन उक्त गवाह पी.डब्ल्यू. 02 गोविन्द द्वारा प्रतिपरीक्षण के दौरान स्वयं यह स्वीकार किया गया है कि वह पहले से किसी मुलजिम को नहीं जानता था। जिसके आधार पर मौके से भागे हुए व्यक्ति की पहचान अभियुक्त राकेश के रूप में स्थापित नहीं हो पाती है।

इसके अतिरिक्त अभियोजन पक्ष की ओर से मौके से भागे हुए व्यक्ति की पहचान के संबंध में कोई शिनाख्तगी कार्यवाही भी प्रकरण में दौराने अनुसंधान नहीं कराई गई है, जिसके आधार पर यह तथ्य प्रमाणित नहीं होता है कि मौके से उक्त भागा हुआ व्यक्ति अभियुक्त राकेश ही हो।

इसके अतिरिक्त अभियोजन कहानी के अनुसार घटनास्थल पर कथित लूट की योजना बनाये जाते समय मुलजिमान के बीच राकेश नामक व्यक्ति के पास चाकू होने संबंधी कथन किए जाने के तथ्य का अंकन प्रदर्श पी–18 में किया हुआ है लेकिन अभियोजन पक्ष की ओर से ऐसी कोई मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई है जिसके आधार पर यह प्रमाणित होता हो कि अभियुक्त राकेश के कब्जे से कथित चाकू बरामद हुआ हो। यद्यपि अभियोजन साक्षी पी.डब्ल्यू. 02 गोविन्द द्वारा प्रतिपरीक्षण के दौरान यह कथन किए

**(डॉ. लेखपाल शर्मा, आर.जे.एस.)**

गए है कि मुलजिम राकेश से चाकू बरामद हुआ था लेकिन प्रकरण के परिवादी व मुख्य कार्यवाही निष्पादनकर्ता जिसके नेतृत्व में हस्तगत प्रकरण की कार्यवाही की गई है, गवाह पी.डब्ल्यू. 09 जितेन्द्र द्वारा प्रतिपरीक्षण के दौरान स्वयं यह स्वीकार किया गया है कि राकेश से कोई बरामदगी नहीं हुई थी। इसके अतिरिक्त गवाह पी.डब्ल्यू. 01 चेतराम द्वारा अपने बयानों में यह कथन किए गए है कि अभियुक्त राकेश से कटटा बरामद हुआ था। कटटा राकेश के पास था। जबकि पत्रावली का अवलोकन किये जाने पर यह दर्शित होता है कि अभियुक्त राकेश से ना तो कोई कटटा बरामदगी की साक्ष्य पत्रावली पर है, ना ही किसी चाकू की बरामदगी की साक्ष्य ही पत्रावली पर प्रस्तुत है। ऐसी स्थिति में अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित उपरोक्त गवाहान के कथनों में परस्पर विरोधाभास प्रकट होता है जिसके आधार पर अभियोजन कहानी की ताईद उपरोक्त गवाहान के कथनों से नही हो पाती है।

अभियोजन कहानी के संबंध में गवाह पी.डब्ल्यू. 15 रामभजन मालखाना इंचार्ज के रूप में परीक्षित हुआ है, जिसने यद्यपि अपने बयानों में यह कथन किए हैं कि वह दिनांक 14.09.2016 को थाना रैणी पर एचएम मालखाना के पद पर तैनात था, उस दिन प्रकरण संख्या 228/16 के आईओ श्री जितेन्द्र सिंह एसएचओ द्वारा माल को मालखाने में जमा करवाया था जो मालखाने में रजिस्टर के क्रम संख्या 544 पर दर्ज किया था, असल मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी–15 है जिसकी प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी–15/ए है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। उक्त प्रकरण में एक 315 बोर का कटटा व एक जिंदा कारतूस जो सील्डशुदा थे, उनको 03.10.2016 को कानि. 1655 रामचरण उर्फ चरण को आरमोरर से मुआयना कराने हेतु दिया था लेकिन उक्त गवाह द्वारा प्रकरण में जमा किए गए मालखाना के संबंध में प्रदर्श कराए गए दस्तावेज प्रदर्श पी–15/ए का अवलोकन किया गया, जिसके आधार पर यह दर्शित होता है कि **फर्द प्रदर्श पी–15/ए में जमा किया गया प्रकरण से संबंधित माल दिनांक 14.09.2016 को एक साथ ही जमा किए जाने का इन्द्राज है जबकि अभियोजन कहानी के अनुसार दिनांक 14.09.2016 को एक देशी कटटा मय कारतूस, लोहे की रॉड, एक जीप व दो मोटरसाईकिल को जमा मालखाना कराये जाने के संबंध में तथ्य दर्शित किए गए हैं तथा घटना दिनांक 14.09.2016 के पश्चात् अभियुक्तगण की निशादेही पर जो माल दिनांक 16.09.2016 को जब्त किया जाना बताया गया है, उसका इन्द्राज भी उक्त फद्र प्रदर्श पी–15/ए में दिनांक 14.09.2016 को ही जमा मालखाना किए जाने का भी इन्द्राज अंकित है, जिसके आधार पर भी अभियोजन कहानी पर महत्वपूर्ण संदेह उत्पन्न होता है।**

इसके अतिरिक्त अभियुक्त राकेश से प्रकरण में कोई बरामदगी नहीं हुई है, जिसके आधार पर उक्त गवाह पी.डब्ल्यू. 15 रामभजन के कथनों से अभियुक्त राकेश के विरूद्ध अभियोजन पक्ष को कोई तात्विक सहायता प्राप्त नहीं होती है।

इसके अतिरिक्त पत्रावली के अवलोकन से यह भी दर्शित होता है कि मौके पर बरवक्त घटना मुर्तिब किये गये दस्तावेजात नक्शा मौका प्रदर्श पी–1, फर्द

जब्ती मोटरसाईकिल हिरो होण्डा बिना नंबरी ब्लेक प्रदर्श पी—3, फर्द जब्ती देशी कटटा 315 बोर मय एक जिंदा कारतूस प्रदर्श पी—5, फर्द गिरफतारी व जामा तलाशी मुलजिम संजू उर्फ संजय प्रदर्श पी—8, फर्द गिरफतारी व जामा तलाशी मुलजिम विजय प्रदर्श पी—9, फर्द गिरफतारी व जामा तलाशी मुलजिम पदम सिंह प्रदर्श पी—10, फर्द गिरफतारी व जामा तलाशी मुलजिम रेशम सिंह प्रदर्श पी—11, फर्द जब्ती मोटरसाईकिल हिरो स्पलेण्डर रंग काला बिना नंबरी प्रदर्श पी—14 में कांट छांट व ऑवर राईटिंग के संबंध में प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी गवाह पी. डब्ल्यू. 12 राजेश कुमार से बचाव पक्ष की ओर से दौराने जिरह पूछे जाने पर उक्त गवाह द्वारा उक्त फर्दात पर कांट छांट व ऑवर राईटिंग होना स्वीकार किया है  साथ ही उक्त गवाह द्वारा इस संबंध में यह कथन किये गये है कि उसके द्वारा दौराने अनुसंधाान उक्त फर्दों में ऑवर राईटिंग करने वाले जितेन्द्र सिंह से इस संबंध में नहीं पूछा गया। इस संबंध में उक्त गवाह द्वारा किये गये कथनों व उक्त फर्दात में की गयी कांट छांट व ऑवर राईटिंग पर प्रकरण के परिवादी/कार्यवाही निष्पादनकर्ता जितेन्द्र के कोई लघु हस्ताक्षर नहीं होने के आधार पर भी अनुसंधान कहानी के अनुसार मौके पर तैयार की गयी उक्त फर्दों के संबंध में संदेह उत्पन्न होता है

**(D) <u>अभियुक्तगण से जब्तशुदा मोटरसाईकिलों को चुराये जाने अथवा चोरी की होना जानते हुए अपने कब्जे में रखने के संबंध में:—</u>** इस संबंध में अभियोजन पक्ष की ओर से अभियुक्त के विरूद्ध धारा 379/411 भा.द.सं. के आरोप के संबध में जो साक्ष्य न्यायालय के समक्ष पेश की गयी है उसके अनुसार जैसाकि पूर्व में न्यायालय द्वारा विवेचन किया जा चुका है, मौके पर की गयी कार्यवाही के संबंध में तैयार की गयी फर्दात पर संदेहप्रद स्थिति उत्पन्न होना जाहिर हुआ है। इसके अतिरिक्त प्रकरण में जरिये फर्द प्रदर्श पी—2, प्रदर्श पी—3, प्रदर्श पी—4, प्रदर्श पी—14 अभियुक्तगण के कब्जे से बतायी गयी कथित मोटरसाईकिलों व जीप के संबंध में अभियोजन पक्ष की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गयी है कि उक्त जब्तशुदा वाहन किस व्यक्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे से चोरी हुए। यहां तक की अभियोजन पक्ष की ओर से ऐसा कोई दस्तावेज भी न्यायालय के समक्ष प्रदर्शित नहीं कराया गया है कि उक्त जब्तशुदा वाहनों का स्वामी कौन था और उक्त जब्तशुदा वाहनों के संबंध में कोई चोरी का मुकदमा किसी पुलिस थाने अथवा न्यायालय में लंबित हो। ऐसी स्थिति में अभियोजन पक्ष की ओर से ऐसा कोई दस्तावेज न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया गया है जिसके आधार पर यह प्रमाणित होता हो कि हस्तगत प्रकरण में अभियुक्तगण से कथित जब्तशुदा वाहन चोरी हुए हो और उन वाहनों का चोरी का जानते हुए अथवा यह विश्वास करते हुए कि उक्त वाहन चुराये हुए अभियुक्तगण द्वारा अपने कब्जे में रखे गये हो।

**(E) <u>कार्यवाही के स्वतंत्र गवाहान नहीं होकर समस्त गवाहान पुलिसकर्मी होने के संबंध में:—</u>** जहां तक विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से उठाए गए इस तर्क का प्रश्न है कि प्रकरण में कोई भी स्वतंत्र गवाह ना होकर समस्त गवाहान

पुलिसकर्मी है, जिनकी साक्ष्य में परस्पर विरोधाभास दर्शित हुआ है, इसलिए उक्त विरोधाभास का लाभ अभियुक्त प्राप्त करने का अधिकारी है।

इस संबंध में पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि यद्यपि यह सही है कि प्रकरण में अभियेाजन पक्ष की ओर से कोई भी स्वतंत्र साक्षी प्रस्तुत नहीं किया है परन्तु पत्रावली पर जो साक्ष्य प्रस्तुत हुई है, उसके अवलोकन से यह भी दर्शित होता है कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रदर्शित किसी भी दस्तावेज पर इस संबंध का कोई नोट अंकित नहीं है कि बरवक्त घटना मौके पर की गयी कार्यवाही के संबंध में किसी भी व्यक्ति को स्वतंत्र साक्षी के रूप में बुलाये जाने का प्रयास किया गया हो। **इस संबंध में गवाह पी.डब्ल्यू. 09 जितेन्द्र कुमार जिरह के दौरान यह स्वीकार किया गया है कि घटनास्थल के आसपास आमजन का आना–जाना व आवागमन है और उन्होंने आसपास से कोई भी स्वतंत्र गवाह नहीं बुलाए।** अब न्यायालय को इस संबंध में यह देखना है कि क्या अभियोजन पक्ष की ओर से स्वतंत्र मौतबीर नहीं बनाये जाने के कारण प्रकरण में मुलजिम कोई लाभ प्राप्त करने का अधिकारी हैं अथवा नहीं। इस संबंध में न्यायिक दृष्टांत **2011 (3) क्राईम्स 83 (पंजाब एण्ड हरियाणा) राजेश एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा** में यह अभिनिर्धारित किया गया है किः– **Five accused assembled carrying weapons in order to make preparation to committee robbery. Conviction on testimony of police official witnesses. No efforts were made to involve any independent witness though police party had sufficient opportunity- material discrepancis in statement of official witnesses and they being police officials such contradictions could not be ignored. Requirement of independent witness was based upon rule of prudence Particularly where there was prior information- conviction could not be sustained.**

इसके अतिरिक्त अन्य **न्यायिक दृष्टान्त Raghuveer@Bichhuda Kanjar & Ors. Vs. State of Rajasthan Thro' P.P., S.B. Criminal Appeal No. 1274 of 2017 decided on 20-02-2018** में यह अभिनिर्धारित किया है कि, Penal code, 1860- Secs. 399, 401- Arms Act, 1959- Secs. 3/25, 4/25- Conviction- Unsustainability- No independent witness was with the police party- Secret information not reduced into writing- Material witness Constable 's' not examined- It is not possible to hear the planning from a distance- Hearing of the planning introduced after consultation- Material contradictions in the evidence fo the witnesses- Held, Convition si not sustainable and set aside.

इस प्रकार उक्त गवाह पी.डब्ल्यू. 09 जितेन्द्र कुमार द्वारा जिरह में की गयी स्वीकारोक्ति अभियोजन कहानी के लिए घातक है, जिस कारण अभियुक्त स्वतंत्र साक्षी के अभाव में लाभ प्राप्त का अधिकारी हैं। अतः अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा दिया गया तर्क स्वीकार्य है।

**41.** इस प्रकार अभियोजन कहानी की ताईद में उपरोक्त बिन्दुओं के संबंध में

अभियोजन पक्ष की ओर से जो महत्वपूर्ण गवाहान न्यायालय के समक्ष परीक्षित हुए हैं, उनके कथनों के आधार पर अभियोजन कहानी में महत्वपूर्ण विरोधाभास प्रकट हुआ है तथा अभियुक्त राकेश की घटनास्थल पर उपस्थिति के संबंध में अभियोजन साक्ष्य के आधार पर पुष्टिकारक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुई है। साथ ही अभियुक्त राकेश से प्रकरण में कोई बरामदगी भी नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त राकेश की संलिप्तता अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत की गई मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं होती है।

**42.** अतः पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन साक्ष्य के समग्र अवलोकन उपरांत अभियुक्त राकेश कुमार के विरूद्ध धारा 399, 402, 379/411 भा0द0सं0 का अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं होते है, जिस कारण अभियुक्त उस पर आरोपित अपराधों में दोषमुक्त होने का उत्तरदायी है।

## :: आदेश ::

**43.** अतः अभियुक्त **राकेश कुमार पुत्र श्री रतनलाल** उम्र 20 साल निवासी पाली पुलिस थाना महुआ, जिला दौसा (राज.) को धारा 399, 402, 379/411 भा0द0सं0 के अपराध में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त के नियमित उपस्थिति बाबत पूर्व में प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं।

**44.** अभियुक्त धारा 437–ए द.प्र.सं. के तहत 20,000–20,000/– रूपये के जमानत मुचलके पेश कर तस्दीक करावें, जो इस निर्णय की तिथि से 6 माह की अवधि तक इस निर्देश के साथ प्रभावी रहेंगे कि इस निर्णय के विरूद्ध अपील होने पर अभियुक्त माननीय अपीलीय न्यायालय/उच्चतर न्यायालय में उपस्थित हो जावेंगे।

**45.** प्रकरण में जब्तशुदा माल वजह सबूत को प्रकरण की अपील का निस्तारण होने के उपरान्त अथवा अपील ना होने की सूरत में अपील की मियाद गुजरने के पश्चात नियमानुसार नष्ट किया जावे।

**(डॉ. लेखपाल शर्मा)**
अपर सेशन न्यायाधीश, राजगढ
जिला अलवर (राज.)

**46.** निर्णय आज दिनांक 24.06.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

**(डॉ. लेखपाल शर्मा)**
अपर सेशन न्यायाधीश, राजगढ
जिला अलवर (राज.)